

भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना

दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2006 में अपनाई गई थी। तब से, दिव्यांगता क्षेत्र में कई विकास हुए हैं जिनमें भारत द्वारा अक्टूबर, 2007 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) पर हस्ताक्षर तथा इस कन्वेंशन के अनुरूप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अधिनियमन और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाना शामिल हैं।

2. उपरोक्त विकास को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीति, 2006 की समीक्षा करने और दिव्यांगजनों के लिए एक नई मसौदा राष्ट्रीय नीति पर सुझाव देने के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें दिव्यांगजन और उनके संघों तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

3. समिति ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स ने 12.10.2021 को समिति को दिव्यांगजनों के लिए नई राष्ट्रीय नीति के मसौदे के साथ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। समिति ने टास्क फोर्स द्वारा सुझाई गई राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर विचार-विमर्श किया। अपने विचार-विमर्श और सदस्यों के परामर्श के आधार पर, समिति ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति के मसौदे का सुझाव दिया, जिसे व्यापक हितधारक परामर्श के लिए रखा जा सकता है। राष्ट्रीय नीति का मसौदा अनुबंध है।

4. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एतद्वारा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर 9 जुलाई, 2022 तक (अर्थात् वेबसाइट में नोटिस डालने की तिथि से 30 दिनों के भीतर) जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करता है। इस राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर टिप्पणियाँ कृपया ईमेल द्वारा panda.dk@nic.in और policy.depwd@gmail.com पर निर्धारित तिथि के भीतर भेजी जा सकती हैं।

अवर सचिव, भारत सरकार



दिव्यांगजन के लिए
राष्ट्रीय नीति का मसौदा 2021

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

www.disabilityaffairs.gov.in

अध्याय	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं
1.	प्रस्तावना	
2.	सिद्धांत, विजन, मिशन	
3.	रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार	
4.	दिव्यांगता प्रमाणन	
5.	शिक्षा	
6.	स्वास्थ्य	
7.	कौशल विकास और रोजगार	
8.	खेल, संस्कृति और मनोरंजन	
9.	सुगम्यता	
10.	आपदा प्रबंधन	
11.	सामाजिक सुरक्षा	
12.	संस्थागत तंत्र और क्षमता विकास को सशक्त करना	
13.	दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण	
14.	अन्य नीति संबंधी उपाय	

अध्याय 1


प्रस्तावना

समस्या यह नहीं है कि मतभेदों को कैसे मिटाया जाए, बल्कि यह है कि मतभेदों को बरकरार रखने के साथ कैसे मिल कर कार्य किया जाए। - रवींद्रनाथ टैगोर

1.1 भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तथापि, दिव्यांगजनों को सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों से कलंक, भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिकों की धारणा और प्रतिकूल प्रभाव के कारण दिव्यांगजनों की योग्यताओं और क्षमता का व्यापक रूप से कम आकलन किया जाता है, जिससे कम उपलब्धि का एक दुष्चक्र बन जाता है। यह बदले में उनके बीच विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न करती हैं, जो आगे उनके वृद्धि में नुकसान पहुंचाती हैं। दिव्यांगता के अर्थ के स्पष्ट करने और दिव्यांगता से संबंधित मिथकों और गलत धारणाओं से मुकाबला करने के लिए संगठित प्रयास किए गए हैं। प्रतिदिन नए विचारों को जीवित रखने की आवश्यकता है ताकि पुराने नकारात्मक दृष्टिकोण और अनुभव स्वयं को बनाए न रख सकें।

1.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ है, जिसका आशय है कि 15% के वैश्विक औसत की तुलना में भारतीय जनसंख्या का 2.21% किसी न किसी रूप से दिव्यांग है।

- देखने में
- सुनने में
- बोलने में
- चलने में
- मानसिक मंदता
- मानसिक रूग्णता
- कोई अन्य
- बहु दिव्यांगता



दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने से, जिसमें दिव्यांगताओं की 21 श्रेणियों की पहचान की गई है, देश में दिव्यांगजनों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होने की संभावना है।

1.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना को लागू किया ताकि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणन के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन किया जा सके। 2022 के अंत तक, इस डाटाबेस के माध्यम से दिव्यांगजनों पर रियल टाइम डाटा प्रदान करने की संभावना है जो अन्य देशों से कई पैमाने पर तुलना करने योग्य होगा।

1.4 जनगणना 2011 के अनुसार, कुल दिव्यांगजनों की जनसंख्या की साक्षरता की दर लगभग 55% (पुरुष-62%, महिला-45%) है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में, दिव्यांगजनों का लगभग 5% ही

स्नातक और उससे अधिक है। 2011 की जनसंख्या का डाटा यह दर्शाता है कि कुल दिव्यांगजनों का लगभग 36% रोजगार प्राप्त है (पुरुष-47%, महिला-23%)

1.5 हमारा संविधान बिना किसी भेद-भाव के दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान की गारंटी देता है, जिसका आशय है सभी के लिए एक समावेशी समाज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो रोजगार, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है, यह उल्लेख करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता और अनुपयुक्त आवश्यकता अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। इसके अलावा, दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 9 के अनुसार राज्य का विषय है। पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान की क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची भी दिव्यांगजनों के कल्याण के बारे में है।

1.6. दिव्यांगता को पहले केवल चिकित्सा दृष्टिकोण से ही देखा गया था। पिछले कुछ वर्षों में विश्व भर में दिव्यांगता को समझने के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, और आज इसे एक सामाजिक-चिकित्सा के मुद्दे के रूप में देखा जाता है। दिव्यांगजनों को पहले शिक्षा, रोजगार, भवनों में सुगम्यता, परिवहन और सूचना प्रणालियों में सुगम्यता के लिए कठिनाई होती थी। निःशक्तजन (समान अवरो, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी वातावरण के सृजन के लिए देश का पहला कानून था। जिसमें दिव्यांगताओं की केवल 07 श्रेणियों नामतः गतिशील दिव्यांगता, दृष्टिहीन, कम दृष्टि, श्रवण बाधिता, कुष्ठ रोग उपचारित, मानसिक रूग्णता और मानसिक मंदता को मान्यता दी गई थी।

1.7 केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की। इसमें देश के महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में दिव्यांगजनों की पहचान की गई है और वे एक ऐसे वातावरण के सृजन करने का प्रयास किया गया हैं जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करते है। यह नीति संविधान में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह निःसंदेह रूप से दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज अधिदेश प्रदान करता है। यह नीति इस तथ्य को भी मानती है कि यदि दिव्यांगजनों को समान अवसर और पुनर्वास उपाय के लिए प्रभावी सुगम्यता प्रदान की जाए तो अधिकांश दिव्यांगजन बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन यापन कर सकते हैं।

1.8 मौजूदा नीति के तहत उपचार के प्रमुख क्षेत्र हैं :- प्रारंभिक-पहचान और उपचार, पुनर्वास, मानव संसाधन का विकास, शिक्षा, रोजगार, बाधा-मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, अनुसंधान, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

1.9 वर्ष 2007 में, भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक पक्षकार बना जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है-

(क) निहित गरिमा का सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी पसंद की स्वतंत्रता, और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है;

(ख) गैर-भेदभाव,

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन,

(घ) मानव विविधता और मानवता के एक भाग के रूप में दिव्यांगजनों की असहमति और स्वीकृति के लिए सम्मान;

(ङ) अवसर की समानता,

(च) सुगम्यता,

(छ) पुरुष और महिलाओं के बीच समानता, और

(ज) दिव्यांग बच्चों की विकसित क्षमताओं का सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अधिकार के लिए उनकी पहचान को संरक्षित करने के लिए सम्मान ।

1.10 वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा में मुख्यधारा की गतिविधियों में दिव्यांगजनों सहित सभी कमजोर समूहों के सार्वभौमिक समावेशन को दर्शाया गया था जिसमें "दीर्घकालिक विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही और समावेशी संस्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, दीर्घकालिक और समावेशी आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और लाभकारी रोजगार तथा सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने, लचीली, समावेशी और सुगम्य अवसंरचना के निर्माण के लिए, सभी आयु समूह में सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और उनके कल्याण को बढ़ावा

देने, समावेशी और निष्पक्ष शिक्षा को सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए आजीवन अधिगम अवसरों को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है।“

1.11 भारत यूएनईएससीएपी के तत्वाधान में तैयार की गई इंचियोन स्ट्रेटजी फॉर एशिया पेसिफिक डेकेड फॉर पीडब्ल्यूडी 2013-2022 का भी एक पक्षकार है जो एशिया पेसिफिक देशों के लिए 10 लक्ष्यों को चिन्हित करता है ताकि इस क्षेत्र में दिव्यांगजनों के समावेशन और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। यह लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है (i) गरीबी को कम करना और कार्य तथा रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना, (ii) राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, (iii) भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार के लिए सुगम्यता को बढ़ाना, (iv) सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, (v) दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक उपचार और शिक्षा को बढ़ाना, (vi) जेंडर समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, (vii) दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम को कम करना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना, (viii) दिव्यांगता के डाटा की विश्वसनीयता और तुलनीयता में सुधार लाना, (ix) यूएनसीआरपीडी की संशोधन प्रक्रिया में तेज़ी लाना और उसे लागू करना तथा उसके साथ राष्ट्रीय विधायन को सुसंगत बनाना और (x) उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय सहयोग में उन्नति करना।

1.12 दिव्यांगजनों से संबंधित चार राष्ट्रीय विधायन हैं नामत भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इनमें से, पहले तीन विधायनों से संबंधित कार्य की देख-रेख केंद्र की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाती है और चौथे से संबंधित कार्य की देख-रेख केंद्र की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है।

1.13 यूएनसीआरपीडी और इंचियोन कार्यनीति लक्ष्यों के तहत कर्तव्यों में से एक है संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू कानून को बनाना। तदनुसार, 28.12.2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया था जो 19.04.2017 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम ने दिव्यांगताओं की विस्तृत श्रेणियों की पहचान की है और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न अधिकार और हकदारियां प्रदान की हैं जो ऐसे अधिकारों के संरक्षण हेतु संरक्षोपाय सहित है।

1.14 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के मद्देनजर, 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सृजन किया गया था ताकि दिव्यांगजनों के लिए नीतिगत संबंधी मुद्दों और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया जा सके।

1.15 अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विभाग का एक सशक्त संस्थागत ढांचा है जिसमें शामिल हैं :- मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय, भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए समर्पित नौ राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्रीय और जिला-स्तरीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र। ये संगठन पुनर्वास सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, विनियमन और विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित कार्य कर रहे हैं। विभाग के दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामतः कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड और नैशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन क्रमशः सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के निर्माण और दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित कार्य कर रहे हैं।

1.16 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं। विभाग द्वारा लागू की जा रही कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं:-

क. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), इसमें दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

ख. सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना), यह दिव्यांगजनों के शारीरिक पुनर्वास के लिए सहायक यंत्रों और सहायक

उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/राष्ट्रीय संस्थानों/डीडीआरसी/एलिम्को/ स्टेट हैंडिकेप्ड डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन /अन्य स्थानीय निकायों) को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

ग. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा), स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकारों के संगठनों को उनके भवनों में बाधामुक्त पहुंच का सृजन करने; वेबसाइट को सुगम्य बनाने; प्रारंभिक उपचार; जागरूकता सृजन, कौशल विकास आदि के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है।

घ. दिव्यांग छात्रों के लिए अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजनाएं जैसे प्री मैट्रिक (कक्षा 9-10), पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर स्तर तक), उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन, फेलोशिप (एमफिल और पीएचडी), ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए) और प्रतिष्ठित संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु और रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग।

सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र
(यूडीआईडी) परियोजना

नेशनल अवार्ड

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास

योजना (डीडीआरएस)



सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)

दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

उद्यमियों को रियायती ऋण

1.17 वास्तविक चुनौती दिव्यांगजनों के लिए पूर्ण सुगम्यता, समावेशन और सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सरकार (दोनों केंद्र और राज्य) तथा विभिन्न स्टैकहोल्डर को "इस अधिकार को वास्तविक" बनाने से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों के लिए नई नीति को निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि उनका समावेशन और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके :

- समाज के सदस्यों की सोच और संवेदन को बदलना ताकि दिव्यांगजनों की परेशानियों को अच्छी तरह से समझा जा सके।
- दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को मन में बैठाना करना ताकि उन्हें यह पता चले कि स्वयं के प्रयास और बेहतर वातावरण से वे काफी हद तक अपनी कमियों से जीत सकते हैं।
- उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को अपनाकर निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणाली, आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में एक सुगम्य वातावरण का सृजन करना।
- प्रत्येक क्षेत्र में दिव्यांगता संबंधी विशिष्ट भिन्न-भिन्न प्रकार के डेटा का सृजन और प्रबंधन करना चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, कानून और व्यवस्था, खेल, संस्कृति आदि हो।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों के दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की अंतर-प्रचालन को सुनिश्चित करना।
- दिव्यांगजनों को रोजगार के बाजार में विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम बनाने के लिए उनके ज्ञान और कौशल में सुधार लाना।
- सरकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर विभिन्न नियोक्ताओं जो अन्य कर्मचारियों की तरह कई काम निष्पादित कर सकते हैं, को उन दिव्यांगजनों को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- दिव्यांगजनों के क्षमता निर्माण तथा पुनर्वास और सशक्तिकरण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को संगठित करना।

- दिव्यांगजनों के लाभार्थ प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के स्तरों में वृद्धि करना।
- बृहत्तर सामाजिक सुरक्षा कवरेज और अन्य प्रबंधन के लिए तंत्र उपलब्ध कराना ताकि दिव्यांगजन सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकें।
- उनकी सुगम्यता को बढ़ाने के लिए कम लागत पर उन्हें उपयुक्त सहायक यंत्र और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।
- बेहतर नीति निर्माण, मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्णय की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को शामिल करना।
- यूएनसीआरपीडी में निहित सभी सामान्य सिद्धांतों के अनुपालन हेतु हमारे प्रयासों को बनाना।
- दिव्यांगता विशिष्ट समावेशी गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर संसाधन को जुटाना।
- विभिन्न स्टैकहोल्डरों के बीच अच्छे-समन्वय ठोस प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर उपयुक्त तंत्र को उपलब्ध करना।
- दिव्यांगताओं को कम करने के लिए समन्वित प्रयास करना।
- समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य-देखभाल में प्राथमिकता।
- प्राकृतिक/राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान फोकस/प्राथमिकता
- दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करना।
- कार्य और सामाजिक-सांस्कृतिक, कार्य और मनोरंजन गतिविधियों के समान अवसर।
- दिव्यांगजनों की जरूरतों के बारे में संवेदीकरण और जागरूकता सृजन कार्यक्रम।

1.18 अंतरराष्ट्रीय साधनों नामतः यूएनसीआरपीडी, इंचियोन कार्यनीति, दीर्घकालिक विकास लक्ष्य और नई घरेलू कानून के साथ नीति में तालमेल करने की भी आवश्यकता है।

अध्याय 2

इस नीति के सिद्धांत

2.1 इस नीति का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के प्रति सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को बताना है और समाज में उनकी भागीदारी के लिए एक वातावरण का सृजन करने के लिए एक व्यापक तंत्र को उपलब्ध कराना है। भारत को यूएनसीआरपीडी का एक पक्षकार होने के नाते, दीर्घकालिक विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडे कार्यसूची, दिव्यांगजनों के लिए एशिया पैसिफिक डेकेड हेतु इंचियोन कार्यनीति, सेंडई फ्रेमवर्क आदि जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल /साधनों के अनुरूप नीति दस्तावेजों में सम्मेलन के तत्वों को दर्शाने की आवश्यकता है।

2.2 यह नीति यूएनसीआरपीडी, इंचियोन कार्यनीति और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में निहित सिद्धांतों पर आधारित है। इस नीति में अपनाए गए मुख्य सिद्धांत हैं :-

- दिव्यांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में स्वीकार करती है।
- यह स्वीकार करती है कि दिव्यांगजन सभी अधिकारों के हकदार हैं और अन्य लोगों की तरह समान रूप से स्वतंत्र है।
- यह भी स्वीकार करती है कि दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव करना सन्निहित सम्मान का उल्लंघन है।
- इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों की विभिन्नता को मान्यता देती है।
- उच्च सहायता की अपेक्षा करने वालों सहित दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों में मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने की आवश्यकता को मान्यता देती है।
- यह स्वीकार करता है कि दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता उनके लिए महत्वपूर्ण है तथा उन्हें स्वयं की पंसद करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है।

- यह स्वीकार करती है कि दिव्यांग महिलाएं और लड़कियां अधिक जोखिम में हैं और उन पर हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण होने की संभावना है।
- यह स्वीकार करती है कि दिव्यांग बच्चों को बिना दिव्यांगता वाले बच्चों के समान आधार पर स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, खेल और मनोरंजन के लिए तथा आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए सुगम्यता के महत्व को मान्यता देती है ताकि दिव्यांगजनों को उनके आधार-भूत अधिकारों और स्वतंत्रता का पूरा उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके।
- यह नोट किया गया है कि नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार की सुगम्यता को बढ़ाने के साथ दिव्यांगजनों के अधिकारों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।
- नियोजन और नीतिगत संबंधी निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए तंत्र विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता देती है।
- समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के सृजन की आवश्यकता को मान्यता देती है।
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्वता को समझती है।
- दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने संबंधी मुख्य विषय के लिए जेंडर परिप्रेक्ष्य प्रदान कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, प्रोत्साहित करने और उन्हें बनाए रखने में तथा एसडीजी 2030 के अनुरूप विकास एजेंडा में दिव्यांगता आयाम के समावेशन को प्रोत्साहित करने में सरकार की बृहत्तर भूमिका को मान्यता देती है।
- यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों के अनुरूप गैर-मौखिक संवाद के एक प्रभावी मोड के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रयोग पर जोर देना।

2.3 विजन

यह नीति एक समावेशी समाज के निर्माण की कल्पना करती है जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाये ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन-यापन कर सकें।

2.4 मिशन

निम्नलिखित के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना :-

- i. शारीरिक, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को सुदृढ करना।
- ii. संस्थागत ढांचे को अपग्रेड करना ।
- iii. दिव्यांगजनों तथा उनके प्रारंभिक उपचार को प्राथमिकता देने के साथ समावेशी शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रोत्साहित करना।
- iv. कौशल विकास, रोजगार और खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- v. दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा के लिए मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों में संशोधन करना और नई योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करना।
- vi. बृहत्तर जागरूकता पैदा करना ।
- vii. भौतिक अवसंरचना, परिवहन, आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली और अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं में सुगम्य वातावरण का सृजन करना ।
- viii. बड़े पैमाने पर योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को शामिल करना।
- ix. मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करना।
- x. दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस सृजन करना और उसे कार्यक्रम वितरण तंत्र के साथ जोड़ना, तथा

xi. दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता विकसित करना ताकि समुदाय स्तर समेत सभी स्तरों पर प्रशिक्षित पेशेवरों की मानवशक्ति की संख्या को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय-3

रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार

3.1 रोकथाम

3.1.1. इलाज से बेहतर रोकथाम है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 उपयुक्त जागरूकता उपायों, जांच, अनुसंधान तथा जच्चे-बच्चे की देखभाल के माध्यम से दिव्यांगता की रोकथाम पर जोर देता है। कुछ दिव्यांगताएं जैसे रक्त विकार, न्यूरोलॉजिकल स्थिति से हुई दिव्यांगता के कारणों के बारे में सार्वजनिकों को जागरूक करने के माध्यम से इन्हें रोका जा सकता है।

3.1.2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिव्यांगताओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू करता है, जो इस प्रकार हैं:-

- सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम;
- दृष्टिहीनता को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम;
- पल्स-पोलियो कार्यक्रम;
- राष्ट्रीय आयोडीन दोष विकार नियंत्रण कार्यक्रम;
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम;
- बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.1.3 दिव्यांगताओं की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है जो दिव्यांगता के पारंपरिक कारणों पर केंद्रित है। तथापि, कुपोषण, चिकित्सा उपेक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आपदा से हुई क्षति आदि जैसी कई अन्य कारण हैं। इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत नई दिव्यांगताओं के नए रूप को रोकने के लिए कार्यनीति विकसित करने की आवश्यकता बढ़ रही है।

3.1.4 इस नीति में निम्नलिखित रोकथाम और प्रारंभिक उपचार हेतु कार्यनीति दर्शाई गई है:-

- दिव्यांगता की रोकथाम पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम का विकास केवल आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत शामिल दिव्यांगताओं के सारे पहलुओं की देखरेख के लिए ही नहीं अपितु अन्य चिकित्सा की स्थितियों जिसे जोखिम वाले मामलों के रूप में देखा जाता है, को दिव्यांगता के किसी भी रूप में भी विकसित करना चाहिए।

- विभिन्न स्थानों पर दिव्यांगता के होने पर सर्वेक्षण के आधार पर अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी हादसों से बचने के लिए उपयुक्त सामाजिक-चिकित्सा उपचारों का पता लगाया जा सके।
- प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को दिव्यांगता के कारणों के बारे में और उनके होने से बचने के माध्यमों के बारे में जागरूक करना अपेक्षित है।
- दिव्यांगजनों के प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास के लिए आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

3.2 प्रारंभिक पहचान और उपचार

3.2.1 जनगणना 2011 के अनुसार, 0-9 वर्ष के आयु समूह में लगभग 20.42 लाख बच्चों में किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगताएं हैं अर्थात्, या तो जन्म से ही दिव्यांग हैं या बाद में दिव्यांग हो गए हैं।


3.2.2 अनुसंधान अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि एक मनुष्य के जीवन का प्रारंभिक बचपन (0-6 वर्ष) महत्वपूर्ण अवधि होती है जो व्यक्ति के जीवन भर के स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक सामर्थ्यता तक पहुंच के लिए उसकी क्षमता का निर्धारण करता है। यह वो अवधि है जब किसी भी प्रकार की विकारों के लक्षणों अथवा जोखिम वाले मामलों की शुरु में ही पहचान की जा सकती है और दिव्यांगता को रोकने या उसकी गंभीरता को कम करने के लिए आवश्यक रोकथाम, सुधारात्मक और पुनर्वास प्रतिक्रिया को प्राप्त करने के लिए उपचार/चिकित्सीय उपचार किया जा सके।

3.2.3 जीवन में गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्था प्रारंभिक उपचार प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता है जो स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन-यापन में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशलों के विकास में मदद करेगा।

3.2.4 प्रारंभिक उपचार केंद्र : एक दृष्टिकोण

- दिव्यांगता के बोझ को केवल चिकित्सीय देखभाल सेवाओं से ही नहीं बल्कि प्रभावी पुनर्वास सेवाओं से कम किया जा सकता है।
- 0-6 वर्ष के बच्चों का जीवन अति संवेदनशीलता और गंभीर चरण पर होने के नाते इस स्तर पर प्रारंभिक पहचान और उपयुक्त उपचार महत्वपूर्ण है।
- बच्चों में अधिकांश दिव्यांगताओं के एक तिहाई से बचा जा सकता है, यदि शीघ्र पहचान की जाए और समय रहते उपचार किया जाए।

- उपयुक्त पुनर्वास उपचार दिव्यांगता के बोझ को कम कर सकती है तथा सभी स्तरों पर स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम बनाता है।
- आवश्यक स्वास्थ्य केंद्रों और पुनर्वास संस्थानों के बीच समन्वय का दृष्टिकोण
- दिव्यांगता एक राज्य का विषय होने के नाते, इससे संबंधित प्रक्रियाओं में राज्य प्राधिकरणों को शामिल करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।



ईआईसी – परामर्श सेवाएं – माता-पिता की काउंसलिंग और प्रशिक्षण, पीर परामर्श

आउटडोर सामान्य सेवाएं – खेल ऐरेना, संवेदी/थेरा-पार्क

स्कूल जाने में तत्परता – प्रीपरेटरी क्लासरूम

जांच और पहचान – पहचान और रेफरेल

चिकित्सीय सेवाएं – ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वाक् थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहार थेरेपी आदि

3.3.5 यह नीति निम्नलिखित प्रदान करती है :-

- एक छत के तहत समीपस्थ तरीके में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में क्रॉस डिसेबिलिटी प्राथमिक उपचार केंद्र (सीडीईआईसी) का एक नेटवर्क विकसित करना –
 - ✓ जोखिम वाले मामलों की पहचान करना और उपयुक्त पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफर करने के लिए सुविधाओं सहित जांच और पहचान करना।
 - ✓ फिजियोथेरेपी, वाक् थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यवहार थेरेपी आदि जैसी चिकित्सीय सेवाएं।
 - ✓ माता-पिता और पीर परामर्श; और
 - ✓ संवाद और भाषा के विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आवश्यक विकास के लिए स्कूल जाने की तैयारी की सुविधाएं।
- इन सीडीईआईसी को क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षकों, एक्टिविटी टीचर, नर्स, बाल चिकित्सक और चिकित्सीय विशेषज्ञों जैसे पुनर्वास पेशेवरों और कार्मिकों से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता है।
- डीईपीडब्ल्यूडी के तहत राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों और राष्ट्रीय संस्थानों के क्षेत्रीय चैप्टर्स में सबसे पहले क्रॉस डिसेबिलिटी ईआईसी होना चाहिए। धीरे-धीरे देशभर के सभी जिलों में ईआईसी के नेटवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन केंद्रों को मुख्य रूप से राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे जिला अस्पतालों/जिला प्रारंभिक उपचार केंद्र (डीईआईसी) के समीप स्थापित करने में या इन केंद्रों को उनके द्वारा स्थापित जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों का एक भाग बनाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
- सभी ईआईसी को समान सिद्धांतों और पालन किए जाने वाले सामान्य प्रारंभिक उपचार प्रोटोकॉल के आधार पर स्थापित किया जा सकता है।
- ईआईसी के साथ डीईआईसी को जोड़ना (इंटरलिंग) सुनिश्चित किया जाए।
- ईआईसी को दिव्यांगता के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए माता-पिता को सहायता प्रदान करने के लिए यूडीआईडी पोर्टल तक पहुंच भी दी जानी चाहिए। इन केंद्रों को शीघ्र उपचार करने हेतु कॉकलियर इंप्लान्ट के लिए श्रवण बाधित लाभार्थी दिव्यांग बच्चे की पहचान करने हेतु अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान के साथ लिंक स्थापित करना चाहिए।
- ईआईसी को श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों और उनके माता-पिता को प्रारंभिक उपचार तथा सांकेतिक भाषा में शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली के साथ लिंक किया जाएगा।

- आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को जोखिम वाले मामलों के बारे में शीघ्र रिपोर्ट करने हेतु साथ ही निकट स्थान में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में माता-पिता को जागरूक करने के लिए संबंधित ईआईसी प्राधिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ईआईसी की कार्यत्मकता की देख-रेख करने के लिए एक नोडल प्राधिकारी होना चाहिए।
- सीडीईआईसी को बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद से संबंधित स्तरों पर जच्चे-बच्चे की देखरेख के बारे में सभी सूचना का पता होना चाहिए।
- सीडीईआईसी को उप जिला और ग्राम स्तर पर जागरूकता उपायों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।
- ये केंद्र पीएचसी/सीएचडी स्तर के स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में और गृह आधारित पुनर्वास देखभाल सेवाओं हेतु आशा/आंगनबाड़ी के रूप में सेवा प्रदान करेंगे।

अध्याय 4 दिव्यांगता का प्रमाणन

4.1 केंद्र सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत शामिल निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के आकलन के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में आकलन और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए चिकित्सा प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगता प्रमाणन के लिए जिला स्तर पर नेत्र रोग चिकित्सक, ईएनटी विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ, क्लिनिकल मनोचिकित्सक/पुनर्वास मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, विशेष शिक्षक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आदि जैसे विभिन्न विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

4.2 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकरणों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

4.3 केंद्र सरकार ने विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी) परियोजना का शुभारंभ किया जो दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और प्रमाणन के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। 01.06.2021 से यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणन को अब अनिवार्य कर दिया गया है।

यूडीआईडी कार्ड का फ्लो चार्ट

यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाणपत्र के प्रवाह की प्रक्रिया

- ऑनलाइन अस्पताल/शिविर/डीएसडब्ल्यूडी/सीएससी के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणपत्र/ यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करें।
- आवेदन का सत्यापन
- विशेषज्ञ को रेफरल
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना
- चिकित्सा बोर्ड का गठन
- दिव्यांगता का मूल्यांकन और पुष्टि हेतु हस्ताक्षर करना
- प्रिंट एजेंसी को यूडीआईडी कार्ड का डाटा हस्तांतर करना
- यूडीआईडी कार्ड को प्रिंट और प्रेषण करना

Process Flow of UDID Card/Disability Certificate



4.4 डिजिटल इंडिया 2021 के डाटा के अनुसार, जनवरी 2021 में भारत में 624.0 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिससे यह पता चलता है कि 45% यूजर इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जनसंख्या के 55% तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। इसके मद्देनजर, दिव्यांगजनों या उनके अभिभावक द्वारा ऑफलाइन मोड से आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। तथापि, यूडीआईडी के ऑफलाइन डेस्कटॉप आवेदन के माध्यम से डिजिटल रूप से ऑफलाइन आवेदन को अपलोड करना जिला चिकित्सा प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी। यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन और प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क को व्यापक बनाया जाएगा।

4.5 इस नीति में बिना किसी परेशानी के दिव्यांगता प्रमाणन के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है :-

- जिला चिकित्सा प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है कि आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर या विशेषज्ञों को परिश्रमिक के माध्यम से प्रमाणन करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।
- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रमाणन करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में दिव्यांगताओं के प्रमाणन के लिए दो सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर सकता है।
- प्रत्येक जिला अस्पताल में रक्त विकारों की जांच करने, लोकोमोटर, दृष्टि और श्रवण दिव्यांगता के मूल्यांकन (बीईआरए जांच) आदि के लिए उपकरण और सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिला अस्पताल में सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे दिव्यांगजनों को कम असुविधा होगी।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है कि दिव्यांगता के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए दिव्यांगजनों को दो से अधिक बार जाने की आवश्यकता न पड़े।
- दिव्यांगजनों की कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जो यहां-वहां जाने की स्थिति में नहीं होते हैं या अपने परिवार अथवा नजदीकी संबंधियों द्वारा उन्हें अस्पताल तक ले जाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में, नजदीकी स्थानों पर त्वरित दिव्यांगता प्रमाणन हेतु प्रमाणन शिविरों के आयोजन के लिए जिला स्तर पर गतिविषयक दिव्यांगता प्रमाणन टीम गठित की जाएगी।
- यूडीआईडी पोर्टल के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण ताकि दिव्यांगता के मूल्यांकन में औचित्य और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- यूडीआईडी को सभी सेवा वितरण योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ लिंक किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण संबंधी प्राधिकरणों और राज्य एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित कार्य करने वालों के बीच नजदीकी समन्वयन।

अध्याय 5

शिक्षा

5.1 दिव्यांगजनों के जीवन में सफलता की संभावना में सुधार लाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) का समाजीकरण, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है जहां दिव्यांगजनों को अधिकारहीनता कम महत्वता का सामना करना पड़ता है। तथापि, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होने के बावजूद, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक सूची बहुत प्रोत्साहजनक नहीं है। दिव्यांगजनों के बीच साक्षरता की दर लगभग 55% है जो पूरी जनसंख्या के लिए 74.04% की तुलना में कम है।

5.2 भारत में, पारंपरिक रूप से विशेष स्कूलों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत सत्तर के दशक में हुई और 1974 में, नियमित स्कूल वाले स्थापनों में हल्की और मध्य दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के समावेशन की आवश्यकता पर जोर देते हुए 'दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी)' नामक पहली योजना शुरू की गई थी। 1986 में, शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समानता के आधारभूत मुद्दे को लाया गया। उक्त नीति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों को समान भागीदारियों के रूप में सामान्य समुदाय के साथ एकीकृत करना है, ताकि उन्हें सामान्य विकास हेतु तैयार किया जा सके तथा साहस और विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके।

5.3 90 के दशक के मध्य में, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने हेतु दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत शिक्षा के एक उप-घटक के साथ प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का अधिनियमन जिसने दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिदेशित किया, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण उपाय था।

5.4 वर्ष 2001 में, सरकार ने 6-14 वर्ष के आयु के बीच वाले बच्चों को अबाधित अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का शुभारंभ किया, जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक था। एसएसए ने शून्य अस्वीकृति नीति को अपनाया यह दर्शाते हुए कि विशेष आवश्यकताओं वाले किसी भी बच्चे को दिव्यांगता होने के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकन में उनकी ना तो उपेक्षा की जाएगी और ना ही उन्हें मना किया जाएगा।

5.5 वर्ष 2005 में, सरकार ने शिक्षा में दिव्यांग बच्चों और युवा के समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्यधारा शिक्षा में किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने से मना नहीं किया जा रहा है। यह गंभीर, गृह बहु और बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए गृह आधारित अधिगम भी प्रदान करती है।

5.6 वर्ष 2007 में, भारत यूएनसीआरपीडी का एक पक्षकार बना। उक्त सम्मेलन का अनुच्छेद 24 सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश देता है दिव्यांगता के आधार पर किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को सामान्य शिक्षा प्रणाली से निषिद्ध नहीं किया गया है और पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुकूल शैक्षणिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित गुंजाईश प्रदान करती है।

5.7 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महत्वपूर्ण भावना के अनुरूप है, सरकार को बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार विशेष स्कूल में या के नजदीकी स्कूल में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश करने के अलावा समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उसे सुविधाजनक बनाने हेतु विशिष्ट उपायों का

विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

- बिना किसी भेदभाव के दिव्यांग छात्रों को भर्ती करना ;
- भवनों, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुगम्य बनाना;
- दिव्यांग छात्रों को अति उपयुक्त भाषा और संचार के मोड एवं साधनों से शिक्षा प्रदान करना, उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बच्चों के एटेंडेंट सहित दिव्यांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करना।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा की सहायता के लिए पेशेवरों, शिक्षकों और स्टॉफ का प्रशिक्षण करना।
- ब्रैल और सांकेतिक भाषा सहित संचार के उपयुक्त, संवर्धक और वैकल्पिक माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- वाक्, संचार अथवा भाषा दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दिन-प्रतिदिन की संवाद आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्य-सामग्री और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करना।
- अधिगम में सुधार लाने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना ।

5.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य है - सही और उचित तथा समावेशी शिक्षा – सभी के लिए अधिगम । दिव्यांग छात्रों के परिप्रेक्ष्य में, उक्त नीति :-

- यह उल्लेख करती है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीय बच्चों के लाभार्थ होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और किसी विशेष कौशल को प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए।
- विशेष आवश्यकताओं या दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र सृजन करने की महत्वता की पहचान की गई है।

- विशेष रूप से कुछ दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीर ट्यूशन, ओपन स्कूल, उपयुक्त अवसंरचना और उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपचार जैसे उपायों पर जोर दिया गया है।
- देश भर में विशेष रूप से समाज में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर समूहों के क्षेत्रों में, केंद्रीय विद्यालयों और अन्य प्राथमिक स्कूलों में कम से कम एक वर्ष अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) को कवर करते हुए प्री-स्कूल सेक्शन को जोड़ने की सिफारिश की गई है।
- अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) में दिव्यांग बच्चों के समावेशन और समान भागीदारी को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है।
- दिव्यांग बच्चों के एकीकरण के लिए, स्कूल / स्कूल परिसरों में संसाधन उपलब्ध करने, क्रॉस दिव्यांगता प्रशिक्षण के साथ विशेष शिक्षकों की भर्ती, जहां भी आवश्यक हो वहां, विशेष रूप से गंभीर या बहु दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए संसाधन केंद्रों की स्थापना हेतु सिफारिश की गई है।
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधामुक्त पहुंच प्रदान कराने पर जोर दिया गया है।
- दिव्यांग बच्चों की विभिन्न श्रेणियों की विविध आवश्यकताओं के उपयुक्त तंत्र से मदद करना ताकि कक्षा में उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।
- सहायक उपकरणों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित टूल की उपलब्धता के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों के लिए पर्याप्त और भाषा-उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री पर जोर दिया गया।
- भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) के शिक्षण हेतु और श्रवण बाधित बच्चों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण मॉड्यूल तैयार करने के लिए एनआईओएस निर्धारित किया गया।
- अधिगम सामग्रियों का व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ माता-पिता / केयर गिवर के ओरियंटेशन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का प्रयोग करना ताकि उनके बच्चों की अधिगम संबंधी जरूरतों में सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके।
- अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों सहित दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण कौशलों पर जागरूकता और

ज्ञान को शामिल किया गया है जो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है।

- समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम को प्रभाव में लाने के लिए शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं द्वारा छात्रों को जागरूक करना है।
- स्कूल और उच्चतर शिक्षा में सही और उचित तथा समावेशन के सामान्य दृष्टिकोण को जारी रखना।

5.9 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने से, समावेशी शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तदनुसार सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस नीति का लक्ष्य प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को दिव्यांगता से जीतने का एक अवसर प्रदान करना है अर्थात् किसी भी दिव्यांग बच्चे को इस अवसर से वंचित नहीं करना है। नीति निम्नलिखित पर जोर देती है :

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता/अनुमति देते समय उनके द्वारा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में एक प्रावधान को शामिल करेंगे।
- प्रत्येक जिले में बिना किसी भेदभाव के समावेशी स्कूल सेटअप में दिव्यांग बच्चों की भर्ती से संबंधित कार्य को देखने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
- कई दिव्यांग बच्चे जो समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें विशेष स्कूलों से या गृह आधारित अधिगम प्रणाली के माध्यम से शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा जाएगा। विशेष स्कूलों/गृह आधारित अधिगम का अंततः उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल होने के लिए तैयार करना है।
- अधिगम परिणामों के आधार पर प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी।
- सरकार अपनी छात्रवृत्ति योजना को सुदृढ़ करेगी और आउटरीच का विस्तार करेगी। छोटी कक्षाओं में ड्रॉपआउट की जांच करने के लिए, प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

- सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री और संदर्भ पुस्तक सामग्री के लिए सुगम्य ई-विषयवस्तु तैयार की जाएगी। अधिगम प्रक्रिया को सुगम्य बनाने के लिए सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन और ऑडियो विवरण के साथ डेमो वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुगम्य पुस्तकालय और कक्षाओं, शौचालयों, ऑडिटोरियम आदि सहित सुगम्य परिसर होंगे।
- दिव्यांगता विशिष्ट पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यसामग्री और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी।
- दिव्यांग बच्चों के प्रति विशिष्ट ध्यान देते हुए शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप किया जाना चाहिए।
- दिव्यांग छात्रों को सहायता प्रदान करने में सभी स्टैकहोल्डरों को शामिल करते हुए स्कूल पारिस्थितिकी प्रणाली को समृद्ध बनाना चाहिए। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में विस्तार करने की आवश्यकता है। अधिगम की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और अलग-अलग सीखने वालों के समावेशन को प्राथमिकता देना चाहिए तथा शिक्षण प्रथाओं को एनईपी, 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुरूप पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक सरकारी /सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को दिव्यांगजनों के लिए 5% के आरक्षण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है तथा उसमें दिव्यांग छात्रों के मार्गदर्शन करने के लिए एक संपर्क अधिकारी होना चाहिए।
- सरकार एनसीईआरटी, एआईसीटीई, यूजीसी और अन्य ऐसी निकायों के माध्यम से शिक्षकों को एक समावेशी सेटअप में दिव्यांगजनों की जरूरतों, सांकेतिक भाषा के प्रयोग और ऐसे बच्चों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी।
- केन्द्र और राज्य स्तर पर शिक्षा बजटों में विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया जाना चाहिए। ऐसे आवंटन डिजिटल शिक्षा की पहुंच के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि जैसे

अधिगम टूल समेत सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की आवश्यकताओं की देख-भाल की जाएगी।

- रूढ़िवाद को दूर करने और सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा की कल्पना के लिए, कक्षा और उसके आगे दोनों में, दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सृजन के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय और सिविल सोसायटी को शामिल करते हुए प्रभावी भागीदारी को प्रात्साहित करने की आवश्यकता है।
- आवधिक गृह आधारित अधिगम के लिए एसएलडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर सहित बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक समन्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए सभी शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभावी अभिसरण हो सके।
- शिक्षा मंत्रालय की शैक्षणिक वीडियो में भारतीय सांकेतिक भाषा और क्लोस्ड कैप्शनिंग को शामिल करने के लिए उनसे संपर्क किया जाएगा ।

अध्याय 6

स्वास्थ्य

6.1 स्वास्थ्य को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की संपूर्ण स्थिति के रूप में माना जाता है और यह मात्र बिना किसी रोग के होने की स्थिति नहीं है। यह प्राथमिक सूचक है जो यह दर्शाता है कि समाज किस हद तक सफलता प्राप्त कर रहा है। दिव्यांगजन, अति कमजोर समूहों में होने के नाते, किसी भी समाज में उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचक समाज में समावेशीकरण की डिग्री को दर्शाता है।

6.2 साक्ष्य यह सुझाव देता है कि बिना किसी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की तुलना में दिव्यांगजन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में, या तो सामान्य रूप में या विशेष स्वास्थ्य देखभाल में, कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। दिव्यांगजनों की मूलभूत बाधिताएं उच्चतम स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं का सृजन कर सकते हैं। उन्हें इष्टतम कार्यात्मक के लिए और दिव्यांगताओं को कम करने के लिए दवाई, सर्जरी, सहायक उपकरण और चिकित्सीय पुनर्वास सहित विशेषीकृत उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

6.3 एक अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि दिव्यांगजनों को प्रायः स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्राप्त करते समय बृहत्तर लागत पर खर्च करना पड़ता है जो उन्हें आगे और गरीबी की दशा में ले जा सकता है। जन्म से ही दिव्यांगता ग्रस्त दिव्यांग बच्चों के प्रतिरक्षण और अन्य नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकताओं के अलावा चिकित्सीय और पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यापक रेंज से सहायता की अपेक्षा रखने वाली बहु स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का अनुभव करते हैं।

6.4 परिवहन की लागत, दुर्गम भौतिक भवन, अस्पताल के उपकरणों की खराब फिटिंग, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को अस्पताल के कर्मचारियों से भेदभाव और कलंक को अक्सर सुगम्यताने के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

6.5 स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल और ज्ञान की कमी या दिव्यांगता विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सुगम्यता उपकरणों की अनुपस्थिति के कारण पीडब्ल्यूडी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में भी चिंताएं हैं। इस प्रकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम्यता सुनिश्चित करना है, जिसमें वित्तीय कठिनाई के बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यक सभी सेवाएं शामिल हैं यानी निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, प्रोत्साहन और उपशामक देखभाल।

6.6 यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 25 में हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों को दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का आदेश दिया गया है:

- दिव्यांगजनों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र सहित समान श्रेणी, गुणवत्ता और मानक युक्त निःशुल्क या वहनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें जैसी अन्य लोगों को प्रदान की जाती हैं।
- दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगजनों के कारण आवश्यक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, और

6.7 पीडब्ल्यूडी के लिए एशिया पैसिफिक दशक के लिए इंचियोन कार्यनीति सभी पीडब्ल्यूडी के लिए पुनर्वास, कर्मियों की सहायता और कई, व्यापक और विभिन्न दिव्यांगजताओं के लिए सहकर्मि परामर्श सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम्यता बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि उन्हें समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम बनाया जा सके।

6.8 हाल के वर्षों में डब्ल्यूएचओ ने 2011 में पहली वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद पीडब्ल्यूडी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जोर दिया है, जिसने पीडब्ल्यूडी से संबंधित

व्यवहारों में प्रतिमान बदलाव लाया है, यानी चिकित्सा / दान आधारित दृष्टिकोण से मानव अधिकारों पर आधारित एक - दूसरे के साथ समान गरिमा।

6.9 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय होने के नाते स्वास्थ्य मुद्दों पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मिशन मोड परियोजना को लागू करता है जिसमें पीडब्ल्यूडी भी शामिल है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि शामिल हैं। हालांकि, कार्यक्रम के तहत पीडब्ल्यूडी के कवरेज को अनुकूलित नहीं किया गया है।

6.10 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश प्रदान करता है कि दिव्यांगजनों के निम्न आय वर्ग की उनके समुदाय के पास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम्यता होनी चाहिए। यह सुगम्यता स्वास्थ्य सुविधाओं को अनिवार्य करने के अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में पीडब्ल्यूडी को उनके इलाज के लिए उपस्थित होने में प्राथमिकता देता है। यह पीडब्ल्यूडी के लिए उपयुक्त प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करता है और निःसंतानता के लिए पीडब्ल्यूडी पर किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। यह पीडब्ल्यूडी और समुदाय के बीच उनके प्रजनन अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर देता है।

6.11 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 राज्य/राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य बोर्डों के माध्यम से एक निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र प्रदान करता है।

6.12 सरकार ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शुरू की है, जिसका लक्ष्य 500 मिलियन व्यक्तियों, लगभग 100 मिलियन परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख

सालाना बीमा कवरेज के साथ कवर करना है। यह कार्यक्रम देश के लगभग हर जिले में फैले अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, यह उन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए, जनगणना के दायरे में सभी पीडब्ल्यूडी का सार्वभौमिक कवरेज एक दूर का उद्देश्य प्रतीत होता है।

6.13 दिव्यांगजनों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से, नीति में निम्नलिखित अनिवार्य हैं: -

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीडब्ल्यूडी को ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें जो सुगम्यता और सस्ती हों, एक लक्षित मिशन शुरू किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में दिव्यांगता को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचे को पीएचसी/सीएचसी/स्वास्थ्य और समुदाय में पीडब्ल्यूडी के कल्याण केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य और पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने के लिए उप जिला/ब्लॉक/गांव स्तर पर इन स्वास्थ्य संस्थानों को सक्षम बनाया जा सके।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आरपीडब्ल्यूडी, 2016 के संदर्भ में मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में राज्य और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कल्याण विभागों, पीडब्ल्यूडी के लिए राज्य आयुक्तों और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए।
- आयुष धीरे-धीरे भारत में उपलब्ध परंपरागत स्वास्थ्य पद्धति को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए आधुनिक चिकित्सा के विकल्प के रूप में उभर रहा है। आयुष अनुसंधान और देखभाल गतिविधियों को परंपरागत भारतीय स्वास्थ्य पद्धति के आधार पर दिव्यांगता देखभाल और उपचार के समाधान खोजने के प्रयास के साथ अधिक सक्रिय रूप से दिव्यांगता से जुड़ने के लिए उन्मुख होना चाहिए।
- एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता पर एक मॉड्यूल शामिल होना

चाहिए जिसे पुनर्वास पेशेवरों और पीडब्ल्यूडी के परामर्श से तैयार किया जा सकता है।

- एबी-पीएमजेएवाई को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सीय सेवाओं के प्रावधान सहित पीडब्ल्यूडी को सार्वभौमिक रूप से शामिल करना होना चाहिए।
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के उद्देश्यों और यूएनसीआरपीडी पर हस्ताक्षर के कारण दायित्वों को देखते हुए, दिव्यांगता विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को उन्नत किया जाना चाहिए।
- प्रभावी परिणाम के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें विकसित करने के समय दिव्यांगजनों को शामिल किया जाना चाहिए।
- दिव्यांगता की रोकथाम, उपचार के लिए नवीनतम तकनीकी उपाय और गृह आधारित चिकित्सीय समाधानों सहित बेहतर गतिशीलता के उद्देश्य से दिव्यांगता विशिष्ट स्वास्थ्य अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। आईसीएमआर, सीआईएसआर, आईआईटी और अन्य संस्थानों द्वारा किए गए शोध के तालमेल की आवश्यकता है।
- सभी स्वास्थ्य संस्थानों को यूडीआईडी परियोजना के तहत पीडब्ल्यूडी के एक सामान्य डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए और देश भर में दिव्यांगता विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति की प्रगति के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उचित पाठ्यक्रम सुधार करने में मदद मिलेगी।

अध्याय 7

कौशल विकास और रोजगार

7.1 रोजगार आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 27 अन्य लोगों के साथ समान आधार पर काम करने के पीडब्ल्यूडी के अधिकार को मान्यता देता है जिसमें स्वतंत्र रूप से चुने गए काम से जीवन यापन करने के अवसर का अधिकार शामिल है। यह दिव्यांगता के आधार पर भर्ती की शर्तों सहित रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्लेसमेंट सेवाओं, स्वरोजगार के अवसरों, उद्यमिता आदि तक सुगम्यता बनाने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण को भी अनिवार्य करता है।

7.2 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 सरकार को विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार के लिए दिव्यांगजनों के रोजगार की सुविधा और सहायता के लिए रियायती दर पर ऋण के प्रावधान सहित योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने का अधिदेश देता है। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सभी मुख्यधारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण में शामिल करने और बाजार से सक्रिय लिंक के साथ पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

7.3 यह अधिनियम दिव्यांगता के आधार पर प्रतिष्ठानों में रोजगार में भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है। यह प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा समान अवसर नीति के प्रकाशन और दिव्यांग कर्मचारियों के अभिलेखों के रखरखाव और उन्हें व्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकारी प्रतिष्ठानों को भी दिव्यांग कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

7.4 अधिनियम में सरकारी प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। जहां तक निजी प्रतिष्ठानों का संबंध है, यह सरकार का काम है कि वह निजी नियोक्ताओं को उनके संगठनों में दिव्यांगजनों की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे।

7.5 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के बावजूद, पीडब्ल्यूडी के लिए रोजगार बाजार में प्रवेश करने के लिए कई बाधाएं हैं। चुनौतियां उचित शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, कार्यस्थल की प्रकृति और दिव्यांगजनों की क्षमता के बारे में नियोक्ता की धारणा को लेकर हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रवैये के परिणामस्वरूप भेदभाव हो सकता है। यह नकारात्मक रवैया लापरवाही, अज्ञानता, रूढ़िबद्धता, प्रतिक्रिया और भय से आता है। कई नियोक्ता यह भी मानते हैं कि अगर पीडब्ल्यूडी को संगठन में काम पर रखा जाता है तो सहकर्मी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

7.6 ऐसे उदाहरण भी हैं जहां दिव्यांगजन अक्सर सामाजिक कलंक के डर से कुछ नौकरियों के लिए आवेदन करने से कतराते हैं। पीडब्ल्यूडी के बीच यह भी धारणा है कि संगठन में प्रवेश के बाद उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा सकता है। एक प्रभावी एकीकरण प्रक्रिया के अभाव में, समावेशी संस्कृति को विकसित करने के लिए संगठन में अनुकूलित वातावरण अवास्तविक होगा।

7.7 दिव्यांगजनों को रोजगार बाजार में कुछ बांधाओं का सामना करना पड़ता है:- निम्न साक्षरता स्तर, दैनिक जीवन कौशल की कमी, आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास की कमी, अतिसंरक्षित माता-पिता, बुनियादी व्यापार कौशल की कमी, भाषा का कम ज्ञान, स्वास्थ्य के मुद्दे, बाजार से ग्रामीण अलगाव और सरकारी नौकरी को वरीयता।

7.8 दिव्यांगजनों के रोजगार में प्रमुख कारक हैं, इसलिए, स्वयं दिव्यांगजन, स्थानीय निकायों,

कॉर्पोरेट घराने, उद्योग निकाय और पीडब्ल्यूडी के संघ सहित सरकारी प्रतिष्ठान। दिव्यांगजनों के रोजगार को बढ़ावा देने की चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रत्येक हितधारक को मिलकर काम करने की जरूरत है।

7.9 सरकारी और निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- सुगम्यता के उच्चतम मानक को पूरा करने के लिए सभी उन्नत सुगम्यता सुविधाओं के साथ दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर का रोजगार पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कौशल प्रशिक्षण, सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न उद्योग गृहों में रिक्तियों, नौकरी और कार्यस्थल की प्रकृति, पात्रता मानदंड, भर्ती प्रक्रिया, परामर्श सेवाएं आदि जैसी सभी जानकारी होगी। यह पोर्टल पीडब्ल्यूडी के लिए रोजगार के अवसर एक स्थान पर दुकान के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए ज्ञान भंडार के रूप में भी काम करेगा।
- पोर्टल में अपडेट करने के लिए जब भी उनके द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा अपनी रिक्तियों और प्रत्येक सरकारी और निजी प्रतिष्ठान, श्रम और रोजगार मंत्रालय को अपनी रिक्तियों और अन्य विवरणों की रिपोर्ट देगा।
- उपरोक्त पोर्टल दिव्यांगजनों के लिए उनके यूडीआईडी नंबर के साथ पंजीकरण की एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करके एक वर्चुअल रोजगार एक्सचेंज के रूप में भी कार्य करेगा।
- पीडब्ल्यूडी, उनके परिवारों, कॉर्पोरेट और उद्योग गृहों, सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकरणों के रोजगार परिवेश को संवेदनशील बनाने के लिए एक गहन सामाजिक अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह की प्रक्रिया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्तर पर की जानी चाहिए।

- हालांकि केंद्र सरकार ने 2015-16 से दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है, इस अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी और उद्योग/कॉर्पोरेट गृहों के परामर्श से एनएपी की कार्यान्वयन रणनीति पर फिर से विचार किया जाएगा। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए ई प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जाएगा। इस तरह का ई प्लेटफॉर्म परस्पर संवादात्मक प्रकृति का होगा और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करेगा।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों की भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने पोर्टल को सशक्त बनाने की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार के प्रत्येक प्रतिष्ठान को दिव्यांगजनों के श्रेणीवार रोजगार के बारे में हर साल 15 जनवरी तक अद्यतन जानकारी देनी होगी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने सामान्य प्रशासन विभागों के माध्यम से इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए।
- दिव्यांगजनों के रोजगार संबंधी आंकड़े केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और तिमाही आधार पर अपडेट किए जाएंगे।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एक समान अवसर नीति विकसित करेगा जिसका पालन सभी केंद्र सरकार के उद्यमों में समान रूप से किया जाएगा। इसी तरह, सार्वजनिक उद्यम विभाग और वित्तीय सेवा विभाग क्रमशः सीपीएसयू और पीएसएफआई के लिए समान अवसर नीति तैयार करेंगे। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी इस संबंध में इसी तरह के कदम उठाएंगे।
- दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थलों पर अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से, कार्यस्थल को उपयुक्त तकनीक और सहायक उपकरण सहायता के साथ सुगम्यता बनाया जाएगा। सरकारी प्रतिष्ठानों के संबंध में, डीओपीटी सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजन कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए विशेष अवकाश, अधिमान्य पोस्टिंग ट्रांसफर, सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।

- दिव्यांगजनों के रोजगार से संबंधित कानून, भर्ती प्रक्रिया, डेटा प्रबंधन के प्रावधानों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जिला और पंचायत स्तर पर सरकारी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
- नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के कौशल और उद्यमी विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं लागू करता है। यह दिव्यांगजनों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान करता है। एनएचएफडीसी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और यह दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करने का केंद्र बिंदु होगा।
- देश में दिव्यांगजनों के लिए संचालित सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक और कौशल नेटवर्क का एक हिस्सा होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं दिव्यांगजन क्षेत्रक कौशल परिषद के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) स्टार्टअप के लिए रियायती ऋण सुविधा प्रदान करने वाला नोडल सार्वजनिक केंद्रीय बैंक है। एसआईडीबीआई स्टार्टअप मित्र, स्टार्टअप इको सिस्टम में कमियों को दूर करने के लिए एसआईडीबीआई की एक डिजिटल पहल है। यह सभी हितधारकों, स्टार्टअप उद्यमियों, इन्क्यूबेटरों, निवेशकों, उद्योग निकायों, बैंकों को एक साथ लाने के लिए एक वर्चुअल मंच के रूप में कार्य करता है ताकि कम उम्र के स्टार्टअप उद्यमियों की वित्तपोषण और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। दिव्यांगजनों की स्टार्टअप आवश्यकता को सुविधाजनक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एनएचएफडीसी को इस डिजिटल पहल का हिस्सा होना चाहिए। एसआईडीबीआई, एनएचएफडीसी और एनएसडीसी के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए।
- दिव्यांगजनों को केवल स्टार्टअप समाधान प्रदान करना दिव्यांगजनों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। दिव्यांगजन उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं

का एक नेटवर्क स्थापित करना भी महत्वपूर्ण होगा। एनएचएफडीसी अपने कौशल प्रशिक्षण/वित्तपोषण भागीदारों के माध्यम से देश भर में दिव्यांगजनों के उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए एक नेटवर्क विकसित करेगा और इन उत्पादों की बिक्री के लिए एक श्रृंखला स्थापित करेगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए उत्पादों की निरंतर और निर्बाध बिक्री को बनाए रखने के लिए ई-मार्केटिंग दिग्गजों के साथ गठजोड़ करने की संभावना का पता लगाया जाएगा।

- दिव्यांगजनों के बीच स्व-उद्यमिता की सफलता की कहानियों को सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर उजागर किया जाएगा ताकि उन्हें और उनके परिवारों को प्रेरित किया जा सके।

अध्याय 8

खेल, संस्कृति और मनोरंजन

8.1 खेल को एक अनूठा मंच माना जाता है जो भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को पार करता है, समावेशन और अनुकूलन का मार्ग प्रशस्त करता है। खेलों की सार्वभौमिक लोकप्रियता दिव्यांगजनों के समावेशन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श उपकरण है। खेल दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में सामुदायिक दृष्टिकोण को बदलकर दिव्यांगता से जुड़े कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खेल पीडब्ल्यूडी को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करा सशक्त बनाकर समान रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। वे व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से संवाद करना और एक दूसरे के लिए सहयोग और सम्मान को बढ़ावा देना भी सिखाते हैं। एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में खेल की शक्ति दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है जो अक्सर लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का अनुभव करती हैं। यह अनुमान है कि विश्व स्तर पर केवल 7% दिव्यांग महिलाएं ही खेलों में शामिल हैं। इसलिए, दिव्यांगजनों के समावेशन में सुधार करके, खेल सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

8.2 पैरा ओलंपिक में भारत की भागीदारी वर्ष 1968 से है। भारत वर्ष 1984 से लगातार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लेता रहा है। अब तक भारत ने पैरा ओलंपिक में 12 पदक हासिल किए हैं। वर्ष 2021 में हुए पिछले पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीते थे। भारत विशेष ओलंपिक में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसी तरह, भारत वर्ष 1971 से बधिर ओलंपिक में भाग ले रहा है। भारत ने बधिर ओलंपिक में कुल 39 पदक जीते हैं जिसमें 18 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं।

8.3 नेत्रहीन क्रिकेट में भी भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में भारत विश्व नेत्रहीन टी 20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का चैंपियन है।

8.4 सार्वभौमिक भाईचारा हमारे लोकाचार और संस्कृति में अंतर्निहित है। हालाँकि, जब दिव्यांगजनों को शामिल करने की बात आती है, तो सांस्कृतिक एकीकरण के लिए हमारे लोकाचार को प्रचारित करने की सख्त आवश्यकता है। एक समाज को प्रगतिशील माना जाता है यदि वह जीवन के सभी क्षेत्रों के संबंध में सभी के लिए खुला हो। संस्कृति और मनोरंजन पीडब्ल्यूडी की भागीदारी को सक्षम करके समावेशिता की छवि को मजबूत करते हैं।

8.5 यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 30 राज्य पार्टियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का आदेश देता है कि पीडब्ल्यूडी:

- अपनी रचनात्मक, कलात्मक और बौद्धिक क्षमता का विकास और उपयोग करें
- सभी स्तरों पर मुख्यधारा की खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया जाता है
- दिव्यांगता विशिष्ट खेल गतिविधियों को व्यवस्थित करने, विकसित करने और उनमें भाग लेने का अवसर मिलता है
- मनोरंजन, पर्यटन, अवकाश और खेल गतिविधियों के संगठन में शामिल लोगों की सेवाओं तक सुगम्यता प्राप्त करें
- सुगम्यता प्रारूप में सांस्कृतिक विषय-वस्तु तक सुगम्यता का उपयोग करें
- टीवी कार्यक्रमों, फिल्मों आदि तक सुगम्यता का उपयोग करें।
- सिनेमा, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए स्थानों तक सुगम्यता का उपयोग करें।

8.6 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 सरकार को खेल गतिविधियों में पीडब्ल्यूडी की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का आदेश देता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- खेल प्राधिकरण खेल में भाग लेने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारों को उचित मान्यता देंगे
- दिव्यांगजनों की सुगम्यता, समावेशन और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों का पुनर्गठन।
- बुनियादी सुविधाओं को नया स्वरूप देना और समर्थन करना
- दिव्यांगता विशिष्ट खेल आयोजनों को बढ़ावा देना और उनका आयोजन करना।

8.7 इस अधिनियम में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी का भी प्रावधान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को सुविधाएं, सहायता और प्रायोजन
- दिव्यांगता इतिहास संग्रहालय की स्थापना
- कला को सुगम्यता बनाना
- मनोरंजन केंद्रों और अन्य सहयोगी गतिविधियों को बढ़ावा देना
- टीवी कार्यक्रमों तक सुगम्यता सहित मनोरंजक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की सुगम्यता और समावेशन को सुगम्यता बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।

8.8 खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित कर रही है ताकि वे प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें और पैरालिंपिक और विशेष ओलंपिक जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में देश के लिए पदक जीत सकें।

8.9 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और यूएनसीआरपीडी के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, नीति की परिकल्पना की गई है:

- आवासीय सहायता के साथ दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, प्रत्येक क्षेत्र में समर्पित दिव्यांगता खेल केंद्रों की स्थापना।

- भारतीय युवा मामले और खेल और खेल प्राधिकरण मंत्रालय के तहत सभी मुख्यधारा की खेल सुविधाओं की सुगम्यता सुनिश्चित करना। इन सुविधाओं में पीडब्ल्यूडी के प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए प्रत्येक दिन समर्पित समय स्लॉट निर्धारित किए जाते हैं।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों को प्रोत्साहित करना।
- पैरालंपिक, बधिर ओलंपिक, विशेष ओलंपिक और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पीडब्ल्यूडी विजेताओं को सम्मानित और पुरस्कृत करना।
- खेल उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करना।
- दिव्यांगजनों के बीच खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को तैयार करने में पीडब्ल्यूडी को शामिल करना।
- संस्कृति विभाग दिव्यांगजनों के बीच ललित कला और प्रदर्शन कला को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करेगा।
- पीडब्ल्यूडी के साहित्यिक कार्यों को स्वीकार और प्रचारित करना और सभी स्तरों पर प्रचारित करना।
- दिव्य कला शक्ति जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार करना। यह न केवल नृत्य और संगीत तक ही सीमित रहेगा बल्कि भविष्य में ललित कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि को भी शामिल किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों को शामिल करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य/जिला स्तर पर आयोजित किया जा सकता है जो परिवारों और जनता के बीच दिव्यांगजनों की क्षमताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी आदि दिव्यांगता समावेशी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मॉल, फन पार्क को दिव्यांगजनों और संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों के लिए सुगम्यता बनाना।
- विभिन्न सरकारी पहलों, एडीआईपी शिविर, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभाव, दिव्यांग उद्यमियों/पैरालंपियनों

की सफलता की कहानियां, एनआई/सीआरसी में उपलब्ध सेवाओं आदि को शामिल करते हुए लघु वृत्तचित्र फिल्म “छूले आसमान” विकसित की जा सकती है।

- 26 जनवरी की परेड में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की पहल को प्रदर्शित करने वाली विभाग की 'झांकी' को शामिल करने का प्रयास किया जाए।

अध्याय 9

सुगम्यता

9.1 सुगम्यताता किसी व्यक्ति को किसी उत्पाद, सेवा या सुविधा तक सुगम्यता प्रदान करने के बारे में है। इसका तात्पर्य है कि क्या सभी उपयोगकर्ता किसी उत्पाद, सेवा या सुविधा मिलने पर एक समान उपयोगकर्ता अनुभव तक पहुँचने में सक्षम हैं। जब हम दिव्यांगजनों पर विचार करते हैं, तो सुगम्यताता का महत्व है क्योंकि यह उनके सशक्तिकरण और समावेशन का प्राथमिक उपकरण है।

9.2 बाधा मुक्त अवसंरचना की अवधारणा वैश्विक स्तर पर 1950 के दशक की है जब विनिर्मित पर्यावरण के संबंध में इसकी प्रयोज्यता को समझा गया था। धीरे-धीरे, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे सुगम्यता के अन्य आयामों को सभी के लिए डिजाइन की अवधारणा के हिस्से के रूप में माना जाने लगा।

9.3 निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 ने पहली बार सीमित सुगम्यता सुविधाओं जैसे रैंप, ब्रेल और श्रवण संकेतों के साथ लिफ्ट और सार्वजनिक भवनों में अनुकूलनीय शौचालय, विशेष रूप से अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास संस्थान निर्धारित किया है। सड़कों और परिवहन व्यवस्था की आंशिक कवरेज की भी परिकल्पना की गई थी। अधिनियम में न तो सुगम्यता के मानकों के निर्धारण का प्रावधान था और न ही उनके अनुपालन के लिए कोई समयसीमा।

9.4 मई 2008 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के लागू होने के साथ सुगम्यता पर चर्चा में एक बड़ा बदलाव आया जो दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 9 सुगम्यता से संबंधित है। यह सदस्य राज्यों को सुगम्यताता के लिए

बाधाओं और बाधाओं को समाप्त करने के उपाय करने के लिए अनिवार्य करता है, विशेष रूप से निम्नलिखित में:

- भवन, जिसमें स्कूल, आवासीय घर, अस्पताल और कार्यस्थल, सड़कें, परिवहन के साधन और अन्य आंतरिक और बाहरी सुविधाएं शामिल हैं;
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सेवाओं सहित आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र;
- सुगम्यता के न्यूनतम मानकों को प्रख्यापित और मॉनीटर करना;
- साइनेज और ब्रेल के साथ जनता के लिए खुली इमारतें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना;
- सुगम्यता के मुद्दों पर हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
- सूचना तक सुगम्यता सुनिश्चित करना; तथा
- सुगम्यता आईसीटी और सिस्टम के डिजाइन, विकास और वितरण को बढ़ावा देना

9.5 2013-2022 दिव्यांगजनों के लिए एशिया प्रशांत दशक पर इंचियोन रणनीति में भारत एक पक्षकार बना। इस रणनीति का लक्ष्य 3 दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण पर जोर देता है। इसका उद्देश्य भौतिक पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार तक सुगम्यता बढ़ाना है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि सार्वभौमिक डिजाइन के आधार पर शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की सुगम्यता न केवल दिव्यांगजनों के लिए बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी सुरक्षा और उपयोग में आसानी को बढ़ाती है।

9.6 देश में सुगम्यता संस्कृति को प्राथमिकता देने की दृष्टि से, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा सुगम्य भारत अभियान दिसंबर, 2015 में शुरू किया गया। यूएनसीआरपीडी और इंचियोन रणनीति में शामिल दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के दर्शन को शामिल करता है और इसकी कवरेज के साथ-साथ इसके दायरे का विस्तार करता है। यह सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पहलुओं में सुगम्यता के प्रावधान की परिकल्पना करता है।

9.7 इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) ने सुगम्यता के प्रावधान को प्रोत्साहन दिया। सुगम्य भारत अभियान इस प्रकार अधिनियम में

सन्निहित सुगम्यताता के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। सुगम्यता भारत अभियान के परिणाम की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि लक्षित उपायों के माध्यम से परिणामों में सुधार किया जा सके।

9.8 सुगम्य भारत अभियान में सुगम्यताता के निम्नलिखित तीन वर्टिकल हैं:

9.8.1 निर्मित पर्यावरण:

इसका उद्देश्य सीढ़ियों और रैंप, गलियारों में टैक्टाइल पथ, चौड़े प्रवेश द्वार, आरक्षित पार्किंग और शौचालय जैसी कुछ सुविधाओं का प्रावधान करके सुगम्यता सरकारी भवनों के अनुपात में वृद्धि करना है।

9.8.2 परिवहन प्रणाली:

सार्वजनिक और निजी परिवहन के साधनों के उपयोग और यात्रा के समान अधिकार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बाधा मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों के साथ-साथ वाहक (रेलवे कोच और बसें) और टिकट बुकिंग, पूछताछ, बुकिंग स्थिति, विशेष सहायता की बुकिंग आदि जैसी संबंधित सेवाओं को विकसित किया जा रहा है।

9.8.3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र:

डिजिटल और वर्चुअल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के साथ, सुगम्य भारत अभियान वेबसाइटों, सार्वजनिक दस्तावेजों और टीवी पर मीडिया सामग्री तक सुगम्यता को बढ़ावा दे रहा है, जबकि सांकेतिक भाषा दुभाषियों के प्रशिक्षण की दिशा में भी काम कर रहा है। मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा के अनुपात में वृद्धि और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पूल को बढ़ाना; सुगम्यता और प्रयोग करने योग्य सार्वजनिक दस्तावेजों और वेबसाइटों जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुगम्यता मानकों को पूरा करके अनुपात में वृद्धि करना है।

9.9 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 सरकार को निर्मित पर्यावरण (सार्वजनिक भवनों), परिवहन प्रणाली, आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में सुगम्यता मानदंड तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार को बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर सुगम्यता सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उपाय कर दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक गतिशीलता का समाधान करने के लिए सुगम्यता सड़कों को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। यह सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का भी आदेश देता है कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक/उपभोक्ता सामान सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध हों।

9.10 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने जून, 2017 में आरपीडब्ल्यूडी नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक भवनों, यात्री बस परिवहन, वेबसाइटों और वेबसाइटों पर रखे जाने वाले दस्तावेजों के लिए सुगम्यता मानकों वाले नियम निर्धारित किए गए थे।

9.11 एआईसी के तहत लक्ष्यों की प्रगति की प्रभावी और वास्तविक समय निगरानी के उद्देश्य से, एमआईएस पोर्टल सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा, सुगम्य भारत ऐप, एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन 2 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। जनता द्वारा सामना की जा रही सुगम्यता संबंधी समस्याओं और भारत में निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राप्त शिकायतों का समाधान करके सुगम्यता में वृद्धि करने का क्राउडसोर्सिंग का एक साधन है यह ऐप दिव्यांगजनों और आम जनता को सुगम्यता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने में सक्षम बनाएगा जिनके निवारण की आवश्यकता है। इस क्राउडसोर्सिंग ऐप के लिए दृष्टि और दिशा हमारे देश में सुगम्यता में सुधार के लिए जन-भागीदारी पर आधारित है। एक्सेस-द फोटो डाइजेस्ट, एक सुगम्यता गाइडबुक, पेशेवरों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न निष्पादन एजेंसियों के

अधिकारियों/वास्तुकारों/इंजीनियरों के बीच सुगम्यता की आवश्यकताओं और विनिर्देशों की समझ बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है।

9.12 नीति दिव्यांगजनों के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की रूपरेखा तैयार करती है, जिससे उन्हें अन्य लोगों की तरह सभी सुविधाओं और सेवाओं तक समान सुगम्यता प्राप्त हो सके:

- सभी स्थानीय निकाय निर्माण उप-नियमों में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों या राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत निर्दिष्ट लोगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण और स्थान मानक के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट सुगम्यता मानकों को शामिल किया जाएगा।
- सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नया सार्वजनिक भवन नियोजन स्तर पर सुगम्यता मानकों के अनुरूप हो और लागत अनुमान लागू मानदंडों के अनुसार सुगम्यता सुविधाओं को ध्यान में रखेगा।
- आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरों और उनके संघों को संवेदनशील बनाया जाएगा ताकि सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुगम्यता के साथ-साथ सार्वभौमिक डिजाइन संस्कृति का समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।
- इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन, आईटी आदि में सुगम्यता और सार्वभौमिक अभिकल्पना का एक घटक होना चाहिए।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने सभी मौजूदा भवनों को समयबद्ध तरीके से सुगम्यता बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे।
- सभी नई यात्री बसों में सुगम्यता सुविधाएं होंगी और मौजूदा यात्री बसों को समयबद्ध तरीके से धीरे-धीरे हटाया जाएगा।
- दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य यात्री कार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप आदि पर सुगम्यता कैब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे वाहनों के चालकों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा।

- रेलवे, मेट्रो कोच, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर दी जा रही सेवाओं और पीडब्ल्यूडी के लिए प्लेटफॉर्म को समयबद्ध तरीके से सुगम्यता बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- सभी अंतरराष्ट्रीय/घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। सभी नए हवाई अड्डों या हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को शामिल करना होगा। स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच और बोर्डिंग और बोर्डिंग सुविधाओं सहित हवाईअड्डे में सेवाओं को सुगम्यताता मानदंडों का पालन करना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाईअड्डा प्राधिकरणों और एयरलाइनों द्वारा अनुपालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगा।
- जहाजों, बंदरगाहों, डॉकयार्ड, जेटी और अंतर्देशीय जल टर्मिनलों में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्बाध उपयोग के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांत पर सुगम्यता की विशेषताएं होंगी।
- सभी वेबसाइट, सरकारी और निजी दोनों भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों को पूरा करेंगी। किसी भी नई वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सुरक्षा मंजूरी देते समय एमईआईटीवाई सुगम्यताता मानकों के अनुपालन की जांच की एक प्रणाली विकसित करेगा।
- सभी मोबाइल ऐप जो सामान्य रूप से जनता के उपयोग के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें सुगम्यता मानकों का पालन करना चाहिए।
- सभी टीवी सामग्री, फिल्मों, वृत्तचित्रों और वीडियो में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन या क्लोज कैप्शनिंग सुविधाएं होंगी और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो विवरण होगा।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय सभी प्रसारकों को उनके कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान सुगम्यता मानकों की पुष्टि करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग समयबद्ध तरीके से अपने डोमेन के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में सुगम्यता मानकों वाले दिशानिर्देश जारी करेंगे।
- सार्वजनिक भवनों के संबंध में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) और दूरसंचार

के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) जैसे डोमेन नियामक इन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे मंत्रालय/विभाग जहां कोई विशिष्ट डोमेन नियामक नहीं है, इन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

- एमओआरटीएच दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग किए जा रहे निजी वाहनों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित की जा रही बैठकों में सांकेतिक भाषा के इंटरप्रिटेशन का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए।

अध्याय 10

आपदा प्रबंधन

10.1 आपदा एक अप्रत्याशित घटना है, जो प्रभावित लोगों की इसके प्रभाव को प्रबंधित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यद्यपि आपदा का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है, दिव्यांगजन आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को असमान रूप से अनुभव करते हैं। वे सामान्य आबादी की तुलना में अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी स्थिति उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के कारण उन्हें विभिन्न अतिरिक्त जोखिमों को उजागर करती है। तत्काल निकासी और बचाव के उपाय करके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन प्रयासों का उद्देश्य खतरों से संभावित नुकसान को कम करना या टालना है, आपदा पीड़ितों को त्वरित और उचित सहायता का आश्वासन देना और त्वरित एवं प्रभावी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है।

10.2 पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और इसके साथ, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण नुकसान में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अब काफी हद तक महसूस किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अकेले 2001 में, मध्यम से उच्च श्रेणी की प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में कम से कम 25,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है और लगभग 36 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये आंकड़े बहुत अधिक होंगे, यदि स्थानीय समुदाय स्तर पर महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बनने वाली कई छोटी और अलिखित आपदाओं के परिणामों को ध्यान में रखा जाए।

10.3 आपदा प्रबंधन के लिए नया दृष्टिकोण इस विश्वास के साथ शुरू हुआ कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि विकास प्रक्रिया में शमन नहीं किया जाता। दृष्टिकोण की एक और आधारशिला यह है कि शमन बहु-विषयक होना चाहिए, जो विकास के सभी क्षेत्रों में फैला हो। नई

नीति इस विश्वास से भी निकलती है कि राहत और पुनर्वास पर खर्च की तुलना में शमन में निवेश अधिक लागत प्रभावी है। आपदा प्रबंधन भारत के नीतिगत ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गरीब लोग आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

10.4 सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम ऊपर उल्लिखित दृष्टिकोण से निकलते हैं। दृष्टिकोण को एक राष्ट्रीय आपदा ढांचे (एक रोडमैप) में परिवर्तित किया गया है जिसमें संस्थागत तंत्र, आपदा रोकथाम रणनीति, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया, और मानव संसाधन विकास शामिल हैं। अपेक्षित इनपुट, उपाय के क्षेत्र और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर शामिल होने वाली एजेंसियों की पहचान की गई है और रोडमैप में सूचीबद्ध हैं। इस रोडमैप को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझा किया गया है। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय रोडमैप को व्यापक दिशा-निर्देश के रूप में लेते हुए अपने-अपने रोडमैप विकसित करें। इसलिए, अब सभी सहभागी संगठनों/हितधारकों द्वारा की जा रही कार्रवाई को रेखांकित करने वाली एक साझा रणनीति है।

10.5 दिव्यांगजनों के संबंध में, प्रभावी आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के माध्यम से उन्हें आपदा के प्रभाव से बचाने पर जोर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर, यूएनसीआरपीडी, इंचियोन रणनीति और सेंडाई ढांचे ने आपदा जोखिम में कमी और इसके प्रबंधन दोनों के संबंध में प्रभावी रणनीतियों को अनिवार्य कर दिया है। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 11 पीडब्ल्यूडी के संबंध में जोखिम की स्थिति और मानवीय आपात स्थिति से संबंधित है। यह राज्य दलों को जोखिम की स्थितियों, सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपात स्थितियों में पीडब्ल्यूडी की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश देता है।

10.6 इंचियोन रणनीति के लक्ष्य 7 का उद्देश्य दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना को मजबूत करना और आपदाओं के जवाब में दिव्यांगजनों को समय पर और उचित सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन उपायों को मजबूत करना है।

10.7 आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, (2015-2030) जिसे मार्च 2015 में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, ने आपदा जोखिम में कमी के लिए एक क्रिया-उन्मुखी ढांचा प्रदान किया। सेंडाई फ्रेमवर्क मानता है कि जहां आपदा जोखिम को कम करने की समग्र जिम्मेदारी राज्यों की है, वहीं यह सरकारों और हितधारकों के बीच एक साझा जिम्मेदारी है। सरकारों को पीडब्ल्यूडी और उनके संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो आपदा जोखिमों के आकलन में महत्वपूर्ण हैं ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित किया जा सके।

10.8 सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 11 शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने से संबंधित है। उक्त लक्ष्य के लक्ष्य 11.5 में आपदाओं के कारण होने वाले सकल घरेलू उत्पाद के 1% के नुकसान को कम करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें गरीबों और कमजोर परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एसडीजी लक्ष्य 1.5, 9.1, 11.2, 11.7, 13.1 और 13.3 भी समावेशी आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन को इंगित करता है।

10.9 दिसंबर 2015 में आयोजित दिव्यांगता और आपदा जोखिम प्रबंधन पर ढाका सम्मेलन ने आपदा में कमी और सरकारों और हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सेंडाई ढांचे के कार्यान्वयन के लिए पीडब्ल्यूडी और उनके संगठनों को सार्थक रूप से शामिल करने पर जोर दिया।

10.10 भारत में, आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के बाद कानूनी समर्थन मिला, जिसने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लिए आपदा प्रबंधन पर एक विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी विकसित की है ताकि जोखिम की स्थितियों के दौरान उनकी निकासी और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। सितंबर, 2019 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने "दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दिशानिर्देश" तैयार किए, जिसमें सभी स्तरों पर विभिन्न हितधारकों, सरकारी और गैर-सरकारी के साथ समन्वय संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए व्यापक रणनीति शामिल है।

10.11 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 में आपातकालीन स्थिति के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपदा प्रबंधन योजना में दिव्यांगजनों को सूचित करने और उन्हें शामिल करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को अनिवार्य किया गया है। इन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने के लिए पीडब्ल्यूडी के राज्य आयुक्तों को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

10.12 डीईपीडब्ल्यूडी ने मार्च, 2020 में कोविड महामारी के दौरान दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश परिचालित किए। जबकि केंद्र और राज्य सरकारें इस अवसर पर उठ खड़ी हुईं, इस आपदा की विशिष्टता को देखते हुए कई सबक सीखे गए। चक्रवात और भूकंप के मामले में जहां राहत उपायों की अप्रतिबंधित अनुमति है, कोविड-19 महामारी के मामले में, जबकि मदद की मांग है, सामाजिक दूरी जैसे एहतियाती उपायों के सख्त अनुपालन की भी आवश्यकता है।

10.13 नीति की परिकल्पना है:-

- विभिन्न हितधारकों के साथ उचित समन्वय के साथ सामान्य समय के दौरान तैयारी सुनिश्चित करना।

- दिव्यांगजनों और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन में स्थानीय स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना।
- बुनियादी डेटा, स्वैच्छिक संगठनों और दिव्यांगता संघों की सूची, भोजन, दवा, अस्पताल में भर्ती आदि के प्रबंधन में प्रोटोकॉल के रखरखाव में पीडब्ल्यूडी और जिला स्तर के अधिकारियों के राज्य आयुक्तों की सक्रिय भूमिका।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में दिव्यांगजनों और उनके संघों की भागीदारी।
- राज्य स्तर पर समावेशी डीआरआर के लिए केंद्र बिंदु घोषित करना, दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले क्षेत्रीय संगठन और दिव्यांगता पर काम करने वाले अन्य संगठन। एनडीएमए द्वारा फोकल पॉइंट्स के बीच सहयोग की एक प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा लिंग, आयु और दिव्यांगता के अलग-अलग आंकड़े एकत्र करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट करना कि आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सेवाएं एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा सुगम्यता और उपयोग योग्य हैं।
- एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा दिव्यांगता समावेशी डीआरआर को लागू करने के संदर्भ में आपदा जोखिम में कमी के क्षेत्र में जनशक्ति का प्रशिक्षण।
- आपदा प्रबंधन कोष के तहत आपदा स्थितियों में निकासी और राहत के लिए दिव्यांगजनों को प्राथमिकता।

अध्याय 11

सामाजिक सुरक्षा

11.1 सामाजिक सुरक्षा प्राथमिक रूप से उन व्यक्तियों की सुरक्षा की एक प्रणाली है जिन्हें राज्य से इसकी आवश्यकता है। ऐसी सुरक्षा सेवानिवृत्ति, मृत्यु, छंटनी, दिव्यांगता जैसी आकस्मिक स्थितियों में प्रासंगिक है जो समाज के व्यक्तिगत सदस्यों के नियंत्रण से बाहर हैं।

11.2 सामाजिक सुरक्षा की आईएलओ अवधारणा उन सभी मनुष्यों को कानून द्वारा गारंटीकृत मौलिक सामाजिक अधिकार की मान्यता पर आधारित है, जो अपने नियंत्रण से परे कारणों से अस्थायी या स्थायी रूप से काम करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। इसने पहली बार सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी। परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाते हुए यह भी गारंटी दी कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

11.3 भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, सामाजिक सुरक्षा सरकार की नीति का एक अनिवार्य घटक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अवांछित आवश्यकता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

11.4 यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 28 राज्य को दिव्यांगजनों के लिए प्रावधान करने के लिए कदम उठाने का आदेश देता है:

- दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित पर्याप्त जीवन स्तर;
- स्वच्छ जल सेवाओं तक समान पहुंच;

- दिव्यांगता से संबंधित जरूरतों के लिए उपयुक्त और किफायती सेवाओं, उपकरणों और अन्य सहायता तक पहुंच;
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों और दिव्यांग वृद्ध व्यक्तियों तक पहुंच;
- पर्याप्त प्रशिक्षण, परामर्श, वित्तीय सहायता और राहत देखभाल सहित दिव्यांगता से संबंधित खर्चों के लिए राज्य से सहायता प्राप्त करना;
- सार्वजनिक आवास कार्यक्रमों तक पहुंच; और
- सेवानिवृत्ति लाभों और कार्यक्रमों तक समान पहुंच

11.5 इंचियोन रणनीति का लक्ष्य 4 सामाजिक सुरक्षा को सशक्त करने पर केंद्रित है। यह निर्दिष्ट करता है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नियमित और औपचारिक रोजगार कार्यक्रम तक सीमित नहीं होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि अन्य लोगों के साथ समान आधार पर दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच हो। सतत विकास लक्ष्य, 2030 का उद्देश्य गरीबी, भूख को खत्म करना और खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना है।

11.6 दिव्यांगजनों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 केवल ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाओं और दिव्यांगजनों के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है जो किसी भी लाभकारी रोजगार में नहीं लगे हैं। आरपीडब्लूडी अधिनियम, 2016 में यूएनसीआरपीडी के अनुरूप दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- दिव्यांगता पेंशन
- रहने की अच्छी स्थिति वाले सामुदायिक केंद्र
- दिव्यांगजनों/दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं जिनका कोई परिवार नहीं है या जिन्हें छोड़ दिया गया है या आश्रय या आजीविका के बिना हैं।
- दिव्यांग महिलाओं को उनके बच्चों की आजीविका और पालन-पोषण के लिए सहायता करना
- सहायता और सहायक उपकरणों, दवा और नैदानिक उपकरणों का प्रावधान, और मुफ्त सुधारात्मक सर्जरी।
- देखभाल भत्ता

11.7 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू कर रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ 18-79 वर्ष के आयु वर्ग में गंभीर रूप से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता पेंशन प्रदान करता है।

11.8 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली दिव्यांगता पेंशन के लिए अपने योगदान को अपने दम पर बढ़ा रहे हैं। दिव्यांगता पेंशन की राशि 300 से रु. 3500 रुपये के बीच होती है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। कुछ राज्य दिव्यांगजनों को बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान कर रहे हैं।

11.9 राष्ट्रीय नीति वक्तव्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत सभी दिव्यांगजनों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रूपरेखा तैयार करता है:

- दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा नीति विकसित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत उनकी आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक कवरेज पर विचार करें।
- सभी दिव्यांगजनों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करना।
- दिव्यांगजनों को भोजन और वस्त्र सुविधा के साथ आश्रय प्रदान करने के लिए सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान,
- दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए एक व्यापक बीमा कार्यक्रम तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा कवरेज की मांग करते समय पीडब्ल्यूडी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, बीमा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए बीमा नियामक प्राधिकरण।
- सरकार दिव्यांगजनों की बचत के लिए उच्च ब्याज के प्रावधान पर विचार कर सकती है।
- उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए देखभालकर्ता भत्ता और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजनाएं तैयार करना।
- दिव्यांगजनों को सहायता तंत्र के रूप में संरक्षकता के अनुदान को सुव्यवस्थित करना।
- बेरोजगारी भत्ते के रूप में सहायता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करना और 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के सभी दिव्यांगजनों को शामिल करना।
- एडिप कार्यक्रम की कवरेज को प्रभावी तरीके से बढ़ाना और निकटतम इलाके में ऐसे उपकरणों की मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित करना।

अध्याय 12

संस्थागत तंत्र और क्षमता विकास को सुदृढ़ बनाना

12.1 दिव्यांगता एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र रूप से रहने और दूसरों के साथ समान रूप से भाग लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कई प्राधिकरणों को शामिल करते हुए बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता होती है। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, प्रांतीय और जिला प्राधिकरणों, सामाजिक इंजीनियरिंग और वकालत में शामिल गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयास सतत विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के सफल एकीकरण की कुंजी हैं जो सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

12.2 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार का विभाग है, जबकि सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय स्तर पर शामिल प्रमुख मंत्रालय/विभाग और संस्थान हैं:

12.2.1 प्राथमिक मंत्रालय और विभाग

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

12.2.2. अन्य प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय/विभाग:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास शिक्षा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय - आंगनवाड़ी समूह के माध्यम से सहायता सेवाएं।
- शिक्षा मंत्रालय- प्रारंभिक बचपन शिक्षा (प्रारंभिक स्कूल) और व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण (उच्चतर शिक्षा विभाग)।
- कौशल विकास और श्रम मंत्रालय- व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास, प्लेसमेंट, स्वरोजगार, स्थानीय रोजगार कार्यालयों और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से सहायता सेवाएं।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - भौतिक वातावरण में सुगम्यता, दिव्यांगजनों को रियायती दर पर भूमि आवंटन जैसी विशेष योजनाएं और कार्यक्रम।
- रेल मंत्रालय - सुगम्य रेल परिवहन, दिव्यांगजनों को रियायती दर पर भूमि आवंटन जैसी विशेष योजनाएं और कार्यक्रम
- नागर विमानन मंत्रालय - सुगम्य हवाई परिवहन।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- यात्री सड़क परिवहन में सुगम्यता।
- जहाजरानी मंत्रालय - जहाज और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा सुगम्य परिवहन।
- खेल मंत्रालय - समावेशी खेल नीति, सुगम्य खेल सुविधाएं
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय- सुगम्य मोबाइल/दूरसंचार उपकरण, सुगम्य वेबसाइट, सुगम्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित समावेशी दूरसंचार नीति/सेवाएं।
- उपभोक्ता मामले मंत्रालय- उपभोक्ता वस्तुओं की सार्वभौमिक डिजाइनिंग
- ग्रामीण विकास मंत्रालय- दिव्यांगता पेंशन, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच, समावेशी ग्रामीण विकास कार्यक्रम

12.2.3 एजेंसियां

- दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय निकाय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन
- राज्य सरकार के संस्थान
- राज्य/केंद्र सरकार के विशेष स्कूल
- जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)
- विशेष स्कूल, अभिभावक संगठन, दिव्यांग जन संगठन, नागरिक समाज संगठन आदि।

12.2.4 डीईपीडब्ल्यूडी के तहत संस्थान/संगठन

क्र. सं.	राष्ट्रीय संस्थान	विशिष्ट दिव्यांगता	रूचि का क्षेत्र
1	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर) - 1975 में स्थापित।	गतिविषयक दिव्यांगता	<ul style="list-style-type: none"> • क्लीनिकल और चिकित्सीय सेवाएं • जनशक्ति विकास • अनुसंधान और विकास

2	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली - 1975 में स्थापित।		
3	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता- 1978 में स्थापित।		
4	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून - 1979 में स्थापित	दृष्टि दिव्यांगता	
5	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई - 1983 में स्थापित	श्रव्य दिव्यांगता	
6	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद - 1984 में स्थापित	बौद्धिक दिव्यांगता	
7	राष्ट्रीय बहुगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण दिव्यांग- (एनआईईपीएमडी) संस्थान, चेन्नई, - 2005 में स्थापित।	बहु दिव्यांगता	
8.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली - 2015 में स्थापित।	श्रव्य दिव्यांगता	<ul style="list-style-type: none"> • भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुसंधान के प्रयोग, शिक्षण और संचालन के लिए जनशक्ति का विकास करना
9.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर)), सीहोर) -2019 में स्थापित।	मानसिक दिव्यांगता	<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्वास सेवाएं • क्षमता निर्माण • अनुसंधान और विकास

10.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर (एलिम्को) - 1971 में स्थापित।	सभी प्रकार की दिव्यांगताएं	<ul style="list-style-type: none"> • वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सहायक सामग्री और उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति करना। • दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और उपकरण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अंग फिटिंग केंद्रों और डीलरों के नेटवर्क को स्थापित और मजबूत करना • लीड संस्थान के साथ सहयोग स्थापित करना और वहनीय कीमत पर अत्याधुनिक सहायक उपकरणों को विकसित करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास करना।
11.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन, नई दिल्ली -1997 में स्थापित।		<ul style="list-style-type: none"> • स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों को धन उपलब्ध कराना। • दिव्यांगजनों के लाभकारी स्वरोजगार के लिए उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना

12.	भारतीय पुनर्वास परिषद्- 1993 में स्थापित।		<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्वास क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का विनियमन और मॉनीटरिंग करना। • पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना। • पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। • भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले पुनर्वास पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना।
13.	स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास - 2000 में स्थापित।	ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त।	<ul style="list-style-type: none"> • 4 श्रेणियों के दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। • राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं जैसे दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा और निरामय के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना।

12.2.5 बीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के तहत 21 समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) हैं। इन सीआरसी का उद्देश्य सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि दिव्यांगजनों की आबादी के आकार को देखते हुए सीआरसी की सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की जरूरत है।

12.3 राष्ट्रीय नीति में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है: -

- प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में दिव्यांगता मामलों पर एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जो डीईपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार हो।
- दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कि दिव्यांगता क्षेत्र पर उच्चतम नीति की सिफारिश करने वाला निकाय है और केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समन्वय के लिए एक मंच है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी विभागों को इसी तरह के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
- राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी दिव्यांगता से सम्बंधित मामलों पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेंगे।
- राष्ट्रीय संस्थानों और सीआरसी को पीएम-दक्ष पोर्टल के तहत शामिल किया जाना चाहिए। इन संस्थानों को यूडीआईडी पोर्टल से भी जोड़ा जा सकता है।
- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक राष्ट्रीय संस्थान या समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना।
- ऐसे केंद्रों में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की सुविधाएं, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ सभी आयु वर्ग में पुनर्वास सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधा होनी चाहिए।
- ये संस्थान/केंद्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेंगे।
- प्रत्येक जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को सहायता प्रदान करना जो जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए सिंगल विंडो सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- प्रत्येक डीडीआरसी में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की सुविधाएं होनी चाहिए।
- जहां तक संभव हो डीडीआरसी जिला अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के निकट स्थित होने चाहिए।
- प्रत्येक डीडीआरसी को समुदाय आधारित समावेशी विकास पेशेवरों सहित पुनर्वास कर्मियों/पेशेवरों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इलाके में पीडब्ल्यूडी की आबादी के आधार पर डीडीआरसी के मॉडल पर उप-मंडल स्तर पर पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- डीडीआरसी के तहत एनजीओ सहित डीडीआरसी और राज्य संचालित पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों और कर्मियों को एनआई/सीआरसी के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- भारतीय पुनर्वास परिषद को देश भर में दिव्यांगों की सभी श्रेणियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुनर्वास कर्मियों/पेशेवरों के सुप्रशिक्षित पूल को विकसित करने के उपाय करने चाहिए।

- पुनर्वास पाठ्यक्रम/कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। आरसीआई एनसीटीई, राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा प्राधिकरण और शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा।
- समावेशी सार्वभौमिक डिजाइन और सहायक प्रौद्योगिकी सहित दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

अध्याय 13 दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण

13.1 हमारा संविधान जाति, पंथ और धर्म के बावजूद समानता को बढ़ावा देता है। दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिक देश के कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें संविधान में यथा परिकल्पित अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को दोहराते हुए केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया जिसमें दिव्यांगों के विभिन्न अधिकारों और अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। अधिनियम में परिकल्पित दिव्यांगों के लिए प्रमुख अधिकार हैं: -

- (i) समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार: उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय करेगी कि दिव्यांग अन्य लोगों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें।
- (ii) सामुदायिक जीवन: दिव्यांगों को समुदाय में रहने का अधिकार होगा।
- (iii) क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा: दिव्यांगों को यातना, अमानवीय, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार से बचाने के लिए उचित सरकार उपाय करेगी।
- (iv) दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा: इस संबंध में ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी; कोई भी दण्ड/पंजीकृत संगठन ऐसे मामलों की सूचना स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दे सकता है।
- (v) आपातकालीन स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा: जिला, राज्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा गतिविधियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए उचित उपाय करेंगे।
- (vi) घर और परिवार: दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता के आधार पर उनके माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा।
- (vii) प्रजनन अधिकार: किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के परीक्षण अधीन नहीं होना चाहिए जिससे स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना बांझपन हो सकता है।
- (viii) कानूनी क्षमता: दिव्यांगजनों को संपत्ति विरासत में पाने, अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय ऋण तक पहुंच का अधिकार है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को समुदाय को संगठित करने और दिव्यांगजनों को उनकी कानूनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए सहायता के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को नामित करने की आवश्यकता है।

13.2 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016: अपराध और दंड

अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन	पहला अपराध - 10,000/- रुपये तक बाद का अपराध - 0.5 - 5.0 लाख तक
बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करना	1.0 लाख रुपये तक का जुर्माना या 2 साल तक की कैद या दोनों।
अत्याचार के अपराधों के लिए सजा क. सार्वजनिक दृष्टि से किसी दिव्यांग को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या धमकाना। ख. किसी भी दिव्यांगजन का अपमान करने या शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या बल प्रयोग करना। ग. किसी दिव्यांग पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण होना लेकिन स्वेच्छा से या जानबूझकर भोजन या पेय पदार्थ से मना करना। घ. बच्चों और दिव्यांग महिलाओं का यौन शोषण करना। ङ. किसी दिव्यांगजन के किसी अंग या इंद्रिय या किसी सहायक उपकरण को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। च. किसी दिव्यांग महिला पर चिकित्सीय प्रक्रिया का संचालन करना जिसके कारण उसकी स्पष्ट सहमति के बिना गर्भपात होता है।	कारावास - 6 महीने से 5 साल तक और जुर्माने के साथ।


13.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांगों के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित मुद्दों पर निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है: -

- क. शिकायत निवारण अधिकारी (सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार के मुद्दों पर)
- ख. जिला स्तरीय समिति
- ग. दिव्यांगजन राज्य आयुक्त

घ. दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त

ङ. विशेष न्यायालय (जिले में नामित सेवा न्यायालय)

Grievance Redressal Mechanism



शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत निवारण अधिकारी

प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त किया जाना

दिव्यांगता पर जिला
समिति

यदि पीडित दिव्यांगजन जीआरओ द्वारा की गई स्तरीय
कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है।

राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के मामले में संपर्क किया जाना।

दिव्यांगजनों के राज्य आयुक्त
नामित अदालतें

दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 84 राज्य सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के रूप में कार्य करने के लिए सत्र न्यायालय नामित करने का आदेश देती है।

नामित अदालतें

13.4 यह अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त (एससीपीडी) और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) को सूचना/दस्तावेजों का अनुरोध करने और सुनवाई के लिए बुलाने के उद्देश्य से एक दीवानी अदालत के रूप में कार्य करने का प्रावधान करता है। अब तक, ये प्राधिकरण दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा दिव्यांगजनों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र/राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ मामले को उठाते हैं और वे कुछ मामलों में शिकायतकर्ता दिव्यांगजन और प्रतिवादी अधिकारियों को शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई भी करते हैं। तथापि, इन प्राधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसाओं के फॉलो अप तथा उनकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में अन्तराल के लिए किसी प्रणाली का अभाव है। अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक है। बहुत कम राज्यों ने अब तक विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया है। इसी तरह, राज्यों को ऐसे विशेष न्यायालयों में मामलों को उठाने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है।

13.5 राष्ट्रीय नीति शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित करने सहित दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपायों की रूपरेखा तैयार करती है: -

- दिव्यांगजनों द्वारा विशेष अदालतों, पुलिस थानों में दायर मामलों की संख्या और ऐसे मामलों के निपटारे में लगने वाले समय से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।
- सीसीपीडी कार्यालय द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। प्रतिवादी अधिकारियों को जवाब देने के लिए अधिकतम एक महीने का समय दिया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसे दो महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
- व्यक्तिगत सुनवाई, यदि आवश्यक हो, शिकायत प्राप्त होने पर तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
- उपरोक्त समय सारिणी का एससीपीडी द्वारा भी पालन किया जाएगा।
- राज्य को जल्द से जल्द ऑनलाइन सुनवाई शुरू करनी चाहिए।
- राज्य आयुक्त के कार्यालय को कर्मचारियों और अन्य बुनियादी ढांचे का उचित सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।
- दिव्यांगजनों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए और शिकायत की प्रकृति के आधार पर सिस्टम स्वचालित रूप से सीसीपीडी या संबंधित राज्य आयुक्त को अग्रेषित कर देगा।
- इसके अलावा सिस्टम को प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए। शिकायतकर्ता को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग विभागों को उपलब्ध रिकॉर्ड देखने और की गई कार्रवाई का पता लगाने के लिए प्रतिबंधित पहुंच दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को शिकायत की स्थिति और उसकी शिकायत के संबंध में सीसीपीडी या राज्य आयुक्त के कार्यान्वयन की स्थिति देखने के लिए प्रतिबंधित पहुंच भी दी जानी चाहिए।
- गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को दिव्यांगजनों के खिलाफ अपराध के संबंध में पृथक डेटा बनाए रखने की आवश्यकता है। 2021 के बाद से, एनसीआरबी अपने वार्षिक अपराध डेटा में दिव्यांगता से अलग किए गए डेटा को शामिल कर सकता है।
- जनता और सार्वजनिक प्राधिकरणों को संवेदनशील बनाना एक समावेशी समाज बनाने और सभी के हितों की रक्षा करने की कुंजी है। राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य आयुक्तों को समय-समय पर जिला/राज्य प्राधिकरण के लिए संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता होती है।
- राज्य सरकारों को ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन के लिए निधि आवंटित करने की आवश्यकता है।
- इसी तरह, सीसीपीडी के कार्यालय को भी चालू वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए।
- सीसीपीडी के कार्यालय और राज्य आयुक्त को क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीसीपीडी या राज्य आयुक्त प्राथमिकता के कार्यालय में प्राप्त शिकायत की प्रकृति के विश्लेषण के आधार पर भाग लेने वाले संगठनों, जिलों आदि जैसे कार्यशालाओं पर प्राथमिकता के साथ डेटा बनाए रखने की आवश्यकता है।

- राज्य आयुक्त आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत निर्धारित एक महीने की समय सारिणी के पालन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने पर भी नजर रख सकते हैं और राज्य के अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 महीने की अवधि के भीतर जिला स्तरीय समितियों के गठन के उपाय करने की आवश्यकता है जो जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य कर सकें।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय नामित करने और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की आवश्यकता है।
- दिव्यांगजनों के मामलों को सुचारू रूप से निपटाने के लिए लोक अभियोजकों को दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में उचित रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय कानूनी सहायता और राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण को दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता है।
- दिव्यांगों के प्रति हिंसा और शोषण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नामित किया जा सकता है।
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित किया जाना चाहिए।

अध्याय-14 अन्य नीतिगत उपाय

14.1 दिव्यांगता से संबंधित डेटा का प्रबंधन:

14.1.1 यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा खर्च किए गए सार्वजनिक धन के वांछित परिणाम हैं। गतिशील डेटाबेस वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्रदान कर सकता है, चाहे वह समस्या की सीमा हो, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की पहुंच का स्तर, विभिन्न स्तरों पर कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता आदि जो सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विश्वसनीय डेटा द्वारा समर्थित ऐसे निर्णयों की स्वीकृति होगी और इससे समाज में समग्र सुधार हो सकता है।

14.1.2 यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 31 राज्यों को दिव्यांगजनों पर अलग-अलग सांख्यिकीय और अनुसंधान डेटा सहित उपयुक्त जानकारी एकत्र करने के लिए अनिवार्य करता है ताकि उन्हें नीतियां बनाने और लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। यह राज्यों के दलों को पीडब्ल्यूडी के लिए ऐसे डेटा के प्रसार और पहुंच के लिए उपाय करने के लिए भी अनिवार्य करता है। हालांकि, दिव्यांगजनों की गोपनीयता और गोपनीयता के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए डेटा सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए।

14.1.3 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का उद्देश्य 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' यानी दिव्यांगजनों सहित सभी कमजोर समूहों को शामिल करने वाला समाज बनाना है। एसडीजी 2030 एजेंडा में ऐसे संकेतक हैं जिनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि को बढ़ावा देकर पीडब्ल्यूडी को शामिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता है। यह न केवल देश को सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति को मापने में मदद करेगा बल्कि हमें वैज्ञानिक तरीके से अन्य देशों के साथ तुलना करने में भी सक्षम बना सकता है।

14.1.4 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो यूएनसीआरपीडी के सिद्धांत और इंचियोन रणनीति की भावना पर आधारित है, को समग्र रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उक्त कानून के कार्यान्वयन की प्रगति के स्तर को मापने के लिए पीडब्ल्यूडी के संबंध में प्रभावी डेटा प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

14.1.5 नीति में डेटा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है:

- दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए सरकार पहले से ही विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड परियोजना को लागू कर रही है। निकट भविष्य में उपयुक्त एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण के माध्यम से डेटाबेस को सभी सेवा वितरण तंत्रों से जोड़ा जाना चाहिए।
- यूडीआईडी डेटाबेस के यूजर प्रतिष्ठानों को सूचना का प्रसार करते समय दिव्यांगजनों की गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यूडीआईडी कार्ड के केवल अंतिम 4 अंक प्रदर्शित होने चाहिए जैसा कि आधार के मामले में किया जा रहा है।
- प्रारंभिक विद्यालय से शुरू होने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांगता के अलग-अलग आंकड़ों को बनाए रखने की जरूरत है और नामांकित दिव्यांगजनों की यूडीआईडी संख्या को दर्ज करना चाहिए। इस डेटाबेस को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सभी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच के साथ राष्ट्रीय स्तर (सामान्य नेटवर्क) पर तैयार किया जाना चाहिए।
- दूरस्थ शिक्षा/घर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को नामांकित दिव्यांगजनों की यूडीआईडी संख्या प्राप्त करनी चाहिए और इसे अपने समग्र डेटाबेस के साथ एकीकृत करना चाहिए।
- सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को उपचार/परामर्श के समय दिव्यांगता से सम्बंधित भिन्न भिन्न जानकारी रखने के लिए यूडीआईडी नंबर दर्ज करना चाहिए।
- एक साझा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका पालन पूरे देश में केंद्र/सरकार द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा किया जा सके।
- सरकार द्वारा संचालित सभी पुनर्वास सेवा प्रदाता संस्थानों को यूडीआईडी संख्या दर्ज करनी चाहिए। यह व्यक्तिगत दिव्यांगजन की प्रगति की मॉनीटरिंग में सहायक होगा।
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस, जिसका उपयोग गरीबी उन्मूलन और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, उसमें दिव्यांगता से सम्बंधित भिन्न भिन्न जानकारी होनी चाहिए और उसमें यूडीआईडी संख्या दर्ज होनी चाहिए।
- केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए श्रेणी-वार अलग डेटाबेस बनाए रखने की आवश्यकता है।
- संस्कृति विभाग को उन दिव्यांगजनों के डेटाबेस को बनाए रखने की आवश्यकता है जिन्होंने अपनी यूडीआईडी संख्या को कैप्चर करके राज्य/केंद्रीय स्तर पर ललित कला, साहित्य, प्रदर्शन कला आदि में योगदान दिया है।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांग कर्मचारियों और उनकी वर्ष-वार भर्ती का एक सामान्य डेटाबेस विकसित कर सकता है और उसे यूडीआईडी नंबर पर भी दर्ज करना चाहिए। राज्य स्तर पर उनके प्रतिष्ठानों के संबंध में इसी तरह का डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत नागरिकों के लिए बनाई गई सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में दिव्यांगता से सम्बंधित भिन्न-भिन्न आंकड़ों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में एक कॉलम होना चाहिए कि क्या आवेदक दिव्यांग है और यदि हां, तो श्रेणी और यूडीआईडी संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

- दिव्यांगजनों को उपरोक्त सभी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

14.2 अनुसंधान और विकास

14.2.1 दिव्यांगता एक जटिल मुद्दा है और एक विकासशील विज्ञान है। दिव्यांगों के पुनर्वास और एकीकरण के लिए सदैव बदलते सामाजिक और चिकित्सा परिप्रेक्ष्य के साथ दिव्यांगता को समझना और उचित उपचार (इंटरवेशन) रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, दिव्यांगता से सम्बंधित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

14.2.2 दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 28 सरकार को दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों / संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उपाय करने के लिए अधिदेश प्रदान करती है।

14.2.3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिव्यांगता के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान और विकास योजना लागू कर रहा है तथापि, दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैं: -

- वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रवार विभिन्न दिव्यांगता की घटनाओं और व्यापकता का पता लगाना; इसके संभावित कारण और ऐसी दिव्यांगता को रोकने/कम करने के लिए संभावित हस्तक्षेप।
- कम लागत वाले स्वदेशी सहायक यंत्र और सहायक उपकरण विकसित करना जिसके लिए एलिम्को को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। यह सहायक तकनीक के क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- सुगम्य शिक्षा, खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तंत्र/उपकरण विकसित करना।
- दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान उत्पादों को आधिकारिक मान्यता देने के लिए एक तंत्र विकसित करना ताकि अनुसंधान निष्कर्षों को वास्तविक परिणामों में बदला जा सके और फलस्वरूप दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इस विभाग के राष्ट्रीय संस्थान और एलिम्को इस मान्यता प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने चाहिए।
- सीएसआईआर और उसके सहयोगियों, आईआईटी, एनआईटी आदि सहित सभी सरकारी अनुसंधान एजेंसियों को इस तंत्र का पालन करना चाहिए।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से दिव्यांगता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने में सक्षम प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की पहचान करना और दिव्यांगता से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में इन संस्थानों को बढ़ावा देना।
- लीड अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधित्व के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और डीईपीडब्ल्यूडी के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त तंत्र का विकास करना।

14.3 दिव्यांगता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना:

14.3.1 वर्ष 1971 में स्थापित डीईपीडब्ल्यूडी के तहत आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुयुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (एलिम्को) एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, जो दिव्यांगजनों के लिए वहनीय कीमत पर सहायक उपकरण और सहायक उपकरण का निर्माण करता है। वर्तमान में, एलिम्को सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों की 26 श्रेणियों का निर्माण करता है, जिनमें से 19 में पहले से ही पूर्ण स्वदेशी सामग्री है। आयातित वस्तुओं में, मल्टी-सेंसरी इनक्लूसिव एजुकेशन किट (एमएसआईडी) और बिहाइंड-द-ईयर डिजिटल हियरिंग एड, स्मार्ट केन और जॉयस्टिक के साथ मोटराइज्ड व्हीलचेयर को जल्द ही स्वदेशी बनाया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए कॉक्लियर इंप्लांट के विकास पर भी काम चल रहा है, जिसे वर्तमान में आयात किया जा रहा है। इससे उपकरणों की लागत में भी काफी कमी आएगी, जिससे सरकार अधिक संख्या में दिव्यांग आबादी को कॉक्लियर इंप्लांट प्रदान करने में सक्षम होगी।

14.3.2 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए नीति यह इंगित करती है कि:

- कच्चे माल की स्थानीय खरीद के साथ उच्च गुणवत्ता वाले यानी घुटने के नीचे और घुटने के ऊपर पूरी तरह से कृत्रिम अंग को स्वदेशी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- उन्नत समकालीन उपकरणों के साथ एलिम्को के आधुनिकीकरण से न केवल इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि यह बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण और सहायक यंत्रों का उत्पादन करने में सक्षम होगा, इस प्रकार इन्हें आयात करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- एलिम्को अपने विक्रेताओं पर कठोर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करेगा, खुदरा विक्रेताओं की श्रृंखला के माध्यम से उत्पादों का विपणन करेगा। इस उद्देश्य के लिए, एलिम्को अपने कार्यबल के ज्ञान और कौशल के उन्नयन का कार्य करेगा ताकि इसे बेहतर उत्पाद डिजाइन और नए उत्पादों के विकास और निर्माण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ संरेखित किया जा सके।

- एलिम्को सहायक उपकरण और यंत्रों की लागत को कम करने और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करेगा। यह खुदरा विक्रेताओं का एक नेटवर्क विकसित कर सकता है और इन नेटवर्कों के माध्यम से मरम्मत इकाइयां स्थापित कर सकता है।

14.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

14.4.1 यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 32 सदस्य राज्यों के लिए कन्वेंशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानना अनिवार्य बनाता है। भारत न केवल यूएनसीआरपीडी का एक पक्षकार है, बल्कि सभी दिव्यांगता से सम्बंधित समावेशी अंतरराष्ट्रीय पहलों में भी एक सक्रिय भागीदार है। इनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2013-2022 के दशक के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 'सही वास्तविक' बनाने के लिए इंशियोन रणनीति, आपदा जोखिम में कमी के लिए सेंडाई ढांचा, दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच की सुविधा के लिए मराकेश संधि शामिल है।

14.4.2 इसके अलावा, भारत सरकार देश में दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करने के लिए अन्य देशों के साथ जुड़ी हुई है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और मॉरीशस सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौते शामिल हैं। नीति में सरकार के जिन प्रयासों की परिकल्पना की गई है, वे इस प्रकार हैं:

- सुगम्य और सहायक प्रौद्योगिकी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान तक पहुंच में सहयोग की सुविधा के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर का अन्वेषण करें।
- दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों में भाग लेना।
- कम लागत और वहनीय पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क देशों के साथ गठजोड़।
- अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के दायरे में संस्था से संस्था सहयोग को बढ़ावा देना।

14.5 दिव्यांगजनों का वित्तपोषण सशक्तिकरण:

14.5.1 अध्ययनों ने संकेत दिया है कि दिव्यांगजनों की बड़ी आबादी गरीब है और दिव्यांगता प्रबंधन की अतिरिक्त लागत के कारण उन्हें और अधिक गरीबी में धकेल रही है। यहां तक कि एक औसत आय अर्जित करने वाले परिवार को भी अपनी चिकित्सा, पुनर्वास, परिवहन और अन्य जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। यदि दिव्यांगों को विभिन्न स्तरों पर समय पर और

पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है तो समावेशी और सशक्त समाज बनाने का उद्देश्य दूर का सपना बनकर रह जाएगा।

14.5.2 दिव्यांगजनों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती है ताकि वे राष्ट्र की प्रगति में पूरे दिल से योगदान दे सकें।

14.5.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और सतत विकास लक्ष्य 2030 के जनादेश को देखते हुए, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने, शिक्षा और अन्य आवश्यकताएं और स्वास्थ्य तक समान पहुंच के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में उच्च निवेश की आवश्यकता है। एक उपयोगी दिव्यांगजन राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में समान भागीदार बन सकता है।

14.5.4 वर्तमान में दिव्यांगता के क्षेत्र में निवेश ज्यादातर पहुंच, सहायक उपकरणों और यंत्रों के वितरण, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास, पुनर्वास, क्षमता निर्माण, दिव्यांग उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निकायों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर केंद्रित है। हालांकि, दिव्यांगजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का वार्षिक खर्च उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

14.5.5 जबकि यह कहा जाता है कि शिक्षा के संबंध में, सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचना चाहिए, दिव्यांगता के क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दिव्यांगजनों के लिए बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.0039% था।

14.5.6 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगता के प्रकारों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है और आने वाली जनगणना, 2021 में दिव्यांगजनों की संख्या बहुत अधिक होने की उम्मीद है। शहरी मलिन बस्तियों, ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित दिव्यांग आबादी के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप और पुनर्वास सेवाओं सहित दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य योजना के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

14.5.7 हाल ही में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि दिव्यांगता क्षेत्र में वित्त पोषण का एक स्रोत बन गया है। हालांकि, अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में दिव्यांगता क्षेत्र में सीएसआर फंडिंग बहुत कम है।

14.5.8 नीति में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और एक समावेशी समाज बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है: -

- राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिव्यांगजनों का कल्याण उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, हर साल दिव्यांगता के क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निधि के उच्च प्रवाह को सुगम्य बनाने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य निधि स्थापित करने और जनता से दान प्राप्त करने के लिए निधि को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि इसका उपयोग दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों में किया जा सके।
- दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाएं खोजने की जरूरत है।
